1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई–4, सेक्टर–29, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय से किया जाता है। कंपनी के कार्यालय देश भर के राज्यों में में फैले हुए हैं, मुख्यतः राज्यों की राजधानियों में हैं तथा एक प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद में है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण (नॉन–डिपोसिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक अग्रणी अवसंरचना वित्तीय कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज–युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को 13 मई 2022 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं:

3.1 तैयारी और मापन का आधार

वित्तीय विवरणों में कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को छोड़कर को ऐतिहासिक लागत के आधार पर लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के बाद गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है। जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.2 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है (i) आरईसी की लागत और खर्चे (ii) ब्याज कर सहित, यदि कोई है, विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर सहित, यदि कोई है, अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर सहित, यदि कोई है, अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूलियों को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं, के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है और शीर्ष ब्याज के तहत अलग से प्रकट किया जाता है।

क्रेडिट–इंपेयर्ड ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को विवेक के मामले के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है, दवाबग्रस्त संपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो कॉर्पोरेट निकायों और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के शेयरों पर लाभांश से आय को प्रोद्भवन के आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व–भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

3.3 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें कंपनी निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियां अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियां वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त अवधि लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.4 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाईल्यूटेड अर्जन की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.5 विदेशी मुद्रा अंतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन–देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि–अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर–मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनःअंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा अंतरित) पर मापा जाता है।

3.6 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यह्रास नहीं होता है।

भूमि में पूर्व में वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत पट्टा समझौते के तहत उपयोग के अधिकार के रूप में मानी जाने वाली भूमि भी शामिल हैं, जिसका पट्टे की अवधि में परिशोधन होता है।

अन्य मूर्त परिसंपत्ति

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यह्रास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी–रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी व बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को परिसंपत्ति के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास ₹5,000/– तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन

राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। कारोबार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

उत्तरवर्ती मापन प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्ति को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में, रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं 'उन्हें अग्रिम पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्ति को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.8 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को कंपनी द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है; अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी परिसंपत्तियां को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसम्पत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास या परिशोधन तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.9 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन–देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। कारोबार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती मापन (मूल्यह्रास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में कंपनी के पास केवल भूमि है, जिसका मूल्यह्रास नहीं हुआ है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

3.10 वित्तीय लिखतें

वित्तीय लिखतें एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी दस्तावेज को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी, वित्तीय दस्तावेज के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन–देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)
- अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयर मे निवेश (भारतीय लेखांकन मानक 27 के अनुरूप लागत पर किया गया)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्ति के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी लिखत हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग दस्तावेज के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड लिखत का एक घटक है जिसमें एक गैर–व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त लिखत के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड–अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर–वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग–अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएँ और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध कारोबार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं। इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, बशर्ते प्रभावी हेजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं हो।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्ति एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् कंपनी के तुलन–पत्र से हटा दिया जाता है)। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्य कृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है। सभी मेजबान अनुबंध जो एक वित्तीय देयता की प्रकृति में हैं और अंतर्निहित व्युत्पन्न से अलग हैं उन्हें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

– हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है।

– ऋण जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

– हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हैज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य व्यापक आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में कंपनी हेज संबंधों को कंपनी के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

उचित मूल्य हेजेज

लाभ और हानि के विवरण में हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज की गई वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन को जोखिम बचाव के कारण लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। इस तरह के परिवर्तन हेज किए गए मद की अग्रणीत राशि में किए जाते हैं और जब हेजिंग लिखत बाहर निकलना रुक जाता है तो प्रभावी ब्याज दर में उस अवधि में समायोजित किए जाते हैं। यदि हेज किए गए मद की मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में बिना परिशोधित उचित मूल्य को तुरंत मान्यता दी जाती है।

3.11 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियां

यह कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के रूप में क्रेडिट के लिए एक 'तीन–चरण' मॉडल का अनुसरण करता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण – 1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।

- चरण – 2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- चरण – 3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण–1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–माह ईसीएल और चरण–2 के लिए जीवनपर्यंत ईसीएल और चरण–3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या लिखत के शेष जीवनपर्यंत (लाईफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो बशर्ते डिफॉल्ट होता है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल होते हैं, जो कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरंदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं जीवनपर्यंत पीडी, ईएडी और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अलावा वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, कंपनी यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो कंपनी 12–महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा जीवनपर्यंत क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन–पत्र की तिथि से करता है। कंपनी उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। कंपनी मानता है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्ति तुलन–पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब कंपनी ने वसूली करना बंद कर दिया हो या न्यायिक प्राधिकरण ने आदेश के अनुसार निर्देशित किया गया हो।

3.12 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.13 इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को लाभांश और अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। लिखत धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब कंपनी द्वारा ऐसे भुगतानों के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.14 महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनःप्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है तो, प्रारंभिक अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुनःप्रस्तुत किया जाता है।

3.15 पूर्व प्रदत्त व्यय

₹1,00,000/– तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.16 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश से जुड़े अस्थायी अंतर पर आस्थागित कर प्रदान नहीं किया जाता है यदि इन अस्थायी अंतरो के उत्क्रमण को कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और यह संभव है कि निकट भवष्यि में उत्क्रमण नहीं होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देयताओं में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.17 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। कंपनी पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष कंपनी द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हों।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति कंपनी के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन–पत्र की तारीख के उपरांत एक–वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लाभ के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी–रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी लाभ को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार

पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्यों, से छूट दी जाती है जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए कंपनी को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्ति संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्ति को प्रकट किया जाता है।

3.19 उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय लिखतों, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्ति को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में

कंपनी द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्ति या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर–वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्ति को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्ति का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया हैं, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- चरण 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- चरण 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है
- चरण 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.20 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निबल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निबल राशि तुलन पत्र में रिपोर्ट की जाती है।

3.21 सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार कॉम्बिनेशन

एक कारोबार कॉम्बिनेशन, यदि कोई है, जिसमें सामान्य नियंत्रण में संस्थाएं या कारोबार शामिल हैं, एक कारोबार कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी कॉम्बिनेशन संस्थाओं या कारोबार को अंततः एक ही पार्टी या पार्टियों द्वारा कारोबार कॉम्बिनेशन से पहले और बाद में नियंत्रित किया जाता है और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं है।

सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या कारोबारों को शामिल करने वाले कारोबार कॉम्बिनेशन को निम्नानुसार ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है:

- संयुक्त संस्थाओं की परिसंपत्ति और देनदारियां उनकी अग्रणीत राशियों में परिलक्षित होती हैं।
- उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने, या नई परिसंपत्तियों या देयताओं को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। कॉम्बिनेशन केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए जाते हैं।
- पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय जानकारी को इस प्रकार पुनर्कथित किया जाता है जैसे कि वित्तीय विवरणों में कारोबार कॉम्बिनेशन पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से हुआ हो, भले ही कॉम्बिनेशन की वास्तविक तिथि कुछ भी हो।

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली प्रतिधारित आय की शेष राशि को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली संगत शेष राशि के साथ जोड़ दिया जाता है। रिजर्व की पहचान संरक्षित है और अंतरणकर्ता के भंडार अंतरिती के रिजर्व बन जाते हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

यदि कोई अंतर हो, जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज की गई राशि के साथ–साथ नकद या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में कोई अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य पूंजी रिजर्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

3.22 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

4. नए/संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड–एएस में संशोधन जारी किए हैं। कंपनी ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता की मान्यता – आस्थगित कर परिसंपत्ति को किस सीमा तक मान्यता दी जा सकती है, यह भावी कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके समक्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, कंपनी के प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित विपरीत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, कंपनी ने उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - क्रेडिट–प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

कोविड-19 महामारी के प्रकोप का प्रभाव - कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड–19 के संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें इसका मूल्यांकन, तरलता और वर्तमान की चिंताओं का पूर्वानुमान, इसकी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, राजस्व मान्यता और इसके हेजेज की प्रभावशीलता पर प्रभाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कंपनी ने इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध आंतरिक और बाहरी स्रोतों की सूचना के आधार पर यह आकलन किया है और इनका विश्वास है कि कोविड–19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली की उम्मीद करते है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव कोविड–19 की प्रकृति और अवधि के कारण इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है। कोविड–19 महामारी कंपनी के प्रचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो कि अनिश्चित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कोविड 19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई नई सूचना और सरकार अथवा कंपनी द्वारा इसके प्रसार को रोकने अथवा इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई शामिल हैं।

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि - प्रबंधन परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास / परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन–वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन - वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव–दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों दस्तावेजों की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, कंपनी बाजार–अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार–अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि / वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') - परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद / बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना।
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
- हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.02	0.12
- बैंको में शेष राशि		
– चालू खातों में	124.01	237.93
– 3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	2.37	902.44
जोड़ (नकदी एवं नकदी समतुल्य)	**126.40**	**1,140.49**

7 बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
बैंको में चिन्हित शेष		
अप्रदत्त लाभांश के लिए	6.39	5.79
अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	771.18	1,065.84
चिन्हित आवधिक जमा राशि		
न्यायालय आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.59	0.56
बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.27	0.25
आवधिक जमा राशि – डिबेंचर विमोचन रिजर्व	225.33	-
54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के आवंटन के प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	1,291.54	856.62
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	**2,295.30**	**1,929.06**
12 वर्षों से अधिक के लिए बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.27	0.25

7.1 31 मार्च 2022 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकदी और नकदी समतुल्य एवं बैंकों में शेष के संबंध में (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा) कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है।

8 व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए व्युत्पन्न में ऐसे उपाय (हेजज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजज होते हैं, जो मितव्ययी हेजज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 48 देखें।

भाग I

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**मुद्रा व्युत्पन्न**						
	– मुद्रा विनिमय	2,850.13	1.39	48.37	2,854.54	43.07	121.08
	– अन्य						
	– कॉल स्प्रेड	1,895.18	76.73	-	4,263.27	271.36	-
	– सीगुल विकल्प	54,727.54	4,868.28	-	20,482.08	1,657.19	43.25
	उप-जोड़ (i)	**59,472.85**	**4,946.40**	**48.37**	**27,599.89**	**1,971.62**	**164.33**
(ii)	**ब्याज दर व्युत्पन्न**						
	– अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	33,239.41	563.77	173.52	25,035.68	339.60	403.65
	उप-जोड़ (ii)	**33,239.41**	**563.77**	**173.52**	**25,035.68**	**339.60**	**403.65**
(iii)	**अन्य व्युत्पन्न**						
	– रिवर्स क्रॉस मुद्रा विनिमय	4,747.00	-	331.25	4,547.00	-	278.33
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i+ii+iii)	**97,459.26**	**5,510.17**	**553.14**	**57,182.57**	**2,311.22**	**846.31**

भाग II

भाग– I में शामिल व्युत्पन्न ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) उचित मूल्य हेजिंग						
—ब्याज दर व्युत्पन्न						
—अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	11,850.70	19.76	112.00	-	-	-
(ii) नकदी प्रवाह हेजिंग						
—मुद्रा व्युत्पन्न						
—मुद्रा विनिमय	2,842.77	-	48.37	2,756.43	23.86	121.08
—अन्य						
—कॉल स्प्रेड	1,895.18	76.73	-	1,837.62	77.74	-
सीगुल विकल्प	54,727.54	4,868.28	-	20,482.08	1,657.19	43.25
—ब्याज दर व्युत्पन्न						
—अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	13,313.21	115.10	45.27	13,055.84	-	318.18
उप - जोड़ (ii)	**72,778.70**	**5,060.11**	**93.64**	**38,131.97**	**1,758.79**	**482.51**
(iii) गैर– नामोदिष्ट व्युत्पन्न	12,829.86	430.30	347.50	19,050.60	552.43	363.80
कुल - व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i+ii+iii)	**97,459.26**	**5,510.17**	**553.14**	**57,182.57**	**2,311.22**	**846.31**

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। उचित मूल्य हेजेज के मामले में, हेजिंग लिखतों के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ–साथ हेजेज की गई वस्तुओं की अग्रणीत राशि में उचित मूल्य परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। गैर–नामित व्युत्पन्न लिखत के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

9 ऋण

कंपनी ने भारतीय– लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) ऋण				
(i) आवधिक ऋण	3,83,310.40	3,84,566.08	3,77,041.98	3,78,090.36
(ii) कार्यशील पूंजीगत ऋण	2,060.86	2,069.12	376.17	377.24
कुल (क)- सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**3,77,418.15**	**3,78,467.60**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,704.66)	(14,704.66)	(13,206.11)	(13,206.11)
कुल (क)- निवल ऋण	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**
(ख) प्रतिभूति विवरण				
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,23,793.64	2,24,420.98	2,56,744.52	2,57,329.46
(ii) बैंक/सरकारी गारंटी के अंतर्गत	1,30,973.50	1,31,510.35	1,01,071.53	1,01,456.48
(iii) अप्रतिभूत	30,604.12	30,703.87	19,602.10	19,681.67
कुल(ख) - सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**3,77,418.15**	**3,78,467.60**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,704.66)	(14,704.66)	(13,206.11)	(13,206.11)
कुल(ख) - निवल ऋण	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**
(ग) (I) भारत में ऋण				
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	3,50,455.72	3,51,732.04	3,38,810.31	3,39,877.44
(ii) निजी क्षेत्र	34,915.54	34,903.16	38,607.84	38,590.16
कुल (ग) (I) - सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**3,77,418.15**	**3,78,467.60**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,704.66)	(14,704.66)	(13,206.11)	(13,206.11)
कुल (ग) (I)- निवल ऋण	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**
(ग)(II) भारत से बाहर ऋण	-	-	-	-
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
कुल (ग) (II) - निवल ऋण	-	-	-	-
कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	**3,70,666.60**	**3,71,930.54**	**3,64,212.04**	**3,65,261.49**

9.1 भारतीय–लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
निवल ऋण	**3,71,930.54**	**3,65,261.49**
घटाएं : भारतीय–लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(423.59)	(504.10)
घटाएं : भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(957.96)	(635.00)
जोड़ें : भारतीय– लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	14,704.66	13,206.11
जोड़ें : प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	117.61	89.65
सकल ऋण	**3,85,371.26**	**3,77,418.15**

9.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**13,206.11**	**11,996.04**
जोड़ें : वर्ष के दौरान इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 36 के संदर्भ में)*	3,422.56	2,362.62
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ प्रयुक्त भत्ते	(1,924.01)	(1,152.55)
अंतिम शेष	**14,704.66**	**13,206.11**

*चरण 1 और 2 ऋण परिसंपत्तियों पर सृजित इंपयरमेंट हानि भत्ता शामिल है जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 से 0.40% के न्यूनतम चरण तक बढ़ाया गया है।

9.3 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकबारगी समाधान (ओटीएस)/पुनर्संरचना के तहत समाधान के संदर्भ में, कंपनी ने ₹1,924.01 करोड़ (विगत वर्ष ₹1,152.55 करोड़) के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। चालू वर्ष के लिए बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) चालू वर्ष के दौरान

(क) वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 13 मई 2021 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹14.79 करोड़ (₹1.30 करोड़ का नकद और ₹13.49 करोड़ का सावधि ऋण) की वसूलियों के विनियोजन के पश्चात् ₹39.45 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

ख) लैंको बाबंध पावर लिमिटेड के संबंध में 30 दिसंबर 2021 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत तरलता आदेश के अनुसरण में, कंपनी ने ₹40.39 करोड़ की नकद वसूली के विनियोजन के पश्चात् ₹1,160.16 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) एस्सार पावर (एमपी) लिमिटेड (ईपीएमपीएल) के संबंध में 16 मार्च 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹620.60 करोड़ (₹148.94 करोड़ का नकद और ₹471.66 करोड़ का सावधि ऋण) की वसूली के विनियोजन के पश्चात् ₹724.40 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(घ) अमृत जल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 23 मार्च 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹4.63 करोड़ की नकद वसूली के विनियोजन के पश्चात, ₹4.35 करोड़ के पूरे बकाया ऋण और ₹0.28 करोड़ रुपये के अतिदेय ब्याज की वसूली की है।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में 4 जून, 2020 को निष्पादित पुनर्संरचना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹979.56 करोड़ (₹830.00 करोड़ का सावधि ऋण और ₹149.56 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर) की वसूली के विनियोजन के पश्चात, ₹65.25 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ख) फेसर पावर लिमिटेड के संबंध में 21 सितंबर, 2020 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹329.12 करोड़ (₹102.27 करोड़ के नकद ₹199.72 करोड़ के गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर और ₹27.13 करोड़ की वसूली योग्य राशि) की वसूली के विनियोजन के पश्चात, ₹181.86 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 4 दिसंबर, 2020 को निष्पादित पुनर्संरचना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 1,396.55 करोड़ (₹ 1,396.55 करोड़ का सावधि ऋण और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर शून्य) की वसूलियों के विनियोजन के पश्चात् ₹ 905.44 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

पुनर्संरचना/समाधान पर प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है (टिप्पणी संख्या 10 देखें)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
सकल ऋण बही		3,85,371.26		3,77,418.15
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है	93%	3,56,923.45	92%	3,48,293.80
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है *जिसमें से,*	7%	28,447.81	8%	29,124.35
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	45%	12,813.68	71%	20,597.00
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण/सरकार को दिए गए ऋण	33%	9,295.96	10%	2,848.13
अप्रतिभूति ऋण	22%	6,338.17	19%	5,679.22

9.5 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित पक्षकार को ऋण देगा या में निवेश करेगा, किसी भी निधि का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है। कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्तीय पोषक पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या इनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

10 निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्टित			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7)
31 मार्च, 2022 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,374.51	-	-	-	1,374.51	-	1,374.51
ऋण प्रतिभूतियां	333.03	-	132.55	-	465.58	-	465.58
इक्विटी लिखतें	-	268.26	49.52		317.78	0.10	317.88
वरीयता शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
अन्य	-	-	-		-	-	-
जोड़ - सकल (क)	**1,736.26**	**268.26**	**182.07**	**-**	**2,186.59**	**0.10**	**2,186.69**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	1,736.26	268.26	182.07	-	2,186.59	0.10	2,186.69
जोड़ - सकल (ख)	**1,736.26**	**268.26**	**182.07**	**-**	**2,186.59**	**0.10**	**2,186.69**
कुल निवेश	1,736.26	268.26	182.07	-	2,186.59	0.10	2,186.69
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	(28.72)	-	(28.72)
जोड़ - निवल (घ=क-ग)	**1,707.54**	**268.26**	**182.07**	**-**	**2,157.87**	**0.10**	**2,157.97**
31 मार्च, 2021 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	649.08	-	-	-	649.08	-	649.08
ऋण प्रतिभूतियां	376.62	-	143.06	-	519.68	-	519.68
इक्विटी लिखतें	-	430.13	23.60		453.73	218.20	671.93
वरीयता शेयर	26.09	-	42.99	-	69.08	-	69.08
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (क)	**1,051.79**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,691.57**	**218.20**	**1,909.77**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
जोड़ - सकल (ख)	**1,051.79**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,691.57**	**218.20**	**1,909.77**
जोड़ निवेश	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ - निवल (घ=क-ग)	**1,051.79**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,691.57**	**218.20**	**1,909.77**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.1 निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पर मापे गए निवेश	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क)	**सरकारी प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस)***	**परिशोधित लागत**	**13,39,32,800**	**1,374.51**	**6,25,00,000**	**649.08**
	ऋण प्रतिभूतियां					
(i)	ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस)*	परिशोधित लागत	2,150	226.82	2,150	227.52
(ii)	ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस के अलावा)					
	– 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर – एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ए	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	17,85,43,530	92.03	22,85,25,079	99.33
	– 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर – एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला बी	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	7,86,06,161	40.52	10,06,12,911	43.73
	– वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर – एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला सी**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,86,35,162	-	1,86,35,162	-
	– फैरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 0% गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)	परिशोधित लागत	2,54,95,144	106.21	2,52,91,783	149.10
	– 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला ए**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	21,38,03,170	-	21,38,03,170	-
	– 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला बी**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	63,03,032	-	63,03,032	-
	– 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला एआई**	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,74,150	-	1,04,74,150	-
(ख)	**उप-जोड़ - ऋण प्रतिभूतियां (i+ii)**			**465.58**		**519.68**
	इक्विटी दस्तावेज					
	– एनएचपीसी लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,88,43,184	52.38	17,53,02,206	428.61
	– हुडको लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	3,47,429	1.14	3,47,429	1.52
	– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	21,81,00,000	214.74	-	-
	– यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,60,00,000	-	1,60,00,000	-
	– रतन इंडिया पावर लिमिटेड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9,25,68,105	49.52	9,25,68,105	23.60
	– आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,17,90,667	-	18,17,90,667	-
(ग)	**उप-जोड़ - इक्विटी दस्तावेज**			**317.78**		**453.73**
	अनुषंगी कंपनियां (टिप्पणी 10.2 देखें)					
	– आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	अन्य (लागत पर)	85,500	0.10	85,500	0.10
(घ)	**उप-जोड़- अनुषंगी कंपनियां**			**0.10**		**0.10**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		पर मापे गए निवेश	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
	संयुक्त उद्यम (टिप्पणी 10.2 देखें)					
	–एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	अन्य (लागत पर)	-	-	21,81,00,000	218.10
	उप-जोड़ -संयुक्त उद्यम			**-**		**218.10**
	वरीयता शेयर (पीएस)					
	–रतन इंडिया पावर लि. के विमोचन योग्य पीएस	परिशोधित लागत	2,87,20,978	28.72	2,87,20,978	26.09
	–रतन इंडिया पावर लि. के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय पीएस	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	4,33,03,616	-	4,33,03,616	42.99
(च)	**उप-जोड़ वरीयता शेयर**			**28.72**		**69.08**
	अन्य					
	– "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" वेंचर कैपिटल फंड की यूनिट्स	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	61,52,200	-
(छ)	**उप-जोड़ - अन्य**			**-**		**-**
	कुल निवेश (ज = क से छ)			**2,186.69**		**1,909.77**
	घटाएँ : इंपेयरमेंट हानि भत्ता (झ)			(28.72)		-
	जोड़ - निवल (ट = ज - झ)			**2,157.97**		**1,909.77**

उचित मूल्य पर दर्शाए गए निवेशों की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 52.1 देखें

** दिनांक 4 नवंबर 2019 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां(एचक्यूएलए) को बनाए रखा गया है*

***दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में ऋण के अस्थिर हिस्से के खिलाफ प्राप्त किया गया*

10.2 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के ब्यौरे:

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	कारोबार का प्रमुख स्थान/निगमन का देश	स्वामित्व हित के अनुपात के अनुसार	
		31.03.2022	31.03.2021
अनुषंगी कंपनियां:			
आरईसी पावर डेवलपमेंट एवं कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	भारत	100.00%	100.00%
संयुक्त उद्यम*:			
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)	भारत	-	22.18%

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को इंड एएस 27 'पृथक वित्तीय विवरणों' के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापित किया गया है।

* वर्ष के दौरान, इंड–एएस फ्रेमवर्क के तहत 01 सितंबर, 2021 से प्रभावी संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईईएसएल के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार, ईईएसएल कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रही।

10.3 निवेश के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ता का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान विमोचन के लिए प्रतिदेय रतन इंडिया पावर लिमिटेड के रिडीमेबल पीएस के संबंध में प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ता (टिप्पणी 36 देखें)	28.72	-
घटाएँ: ऋणों के राइट्स ऑफ की ओर से उपयोग किया जाने वाला भत्ता	-	-
अंतिम शेष	**28.72**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.4 दिवाला और शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत सेटलमेंट के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) वर्तमान वर्ष के दौरान:

कंपनी को दिवाला और शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में कोई लिखते प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान:

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 22,85,25,079 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला–ए, 10,06,12,911 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला–बी और 1,86,35,162 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0%) श्रृंखला–सी आवंटित किए गए हैं।

(ख) फेसर पावर लि. के संबंध में 21 सितंबर, 2020 को निष्पादित एकमुश्त निपटान व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को फैरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 2,52,91,783 जीरो कूपन गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर आवंटित किए गए हैं।

(ग) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 21,38,03,170 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–ए, 63,03,032 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–बी और 1,04,74,150 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–एआई आवंटित किए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 9.3 देखें।

10.5 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य कार्य (प्रचालन) विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार–चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को अलग करने प्रयोजन से, प्रबंधन का मानना है कि यह एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) के वर्गीकरण के बजाय उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अमान्य एफवीओसीआई निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/(हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/(हानि)
एनएचपीसी लिमिटेड*	15,64,59,022	430.62	89.86			
स्माल इज ब्युटीफुल**	61,52,200	0.55	(5.60)			
इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमटेड	-	-	-	1,22,71,211	249.92	248.69

**वर्ष के दौरान, कंपनी ने एनएचपीसी लिमिटेड के 15,64,59,022 इक्विटी शेयरों को बाजार परिदृश्य पर विचार करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ₹430.62 करोड़ में बेचा है। इस प्रकार शेयरों को अमान्य किया गया है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है।*

***वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' वेंचर कैपिटल फंड की 61,52,200 इकाइयों की मान्यता रद्द कर दी है, जो फंड के तरलता पर पूर्ण और अंतिम निपटान के परिणामस्वरूप है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने ₹0.55 करोड़ की नकद वसूली को विनियोजित करने के बाद ₹5.60 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है*

11 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	**कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी संख्या 11.1 के संदर्भ में)**	41.95	39.94
(ख)	**कार्मिकों को अग्रिम**	0.24	0.41
(ग)	**अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम**	5.26	4.16
(घ)	**प्रतिभूति जमा राशि**	1.64	1.23
(ङ)	**भारत सरकार से वसूली योग्य**		
	– भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी संख्या 21.5 के संदर्भ में)	24,318.29	24,314.48
(च)	**अन्य वसूली योग्य राशि**	120.24	127.03
	घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (टिप्पणी संख्या 11.2 के संदर्भ में)	(90.68)	(88.04)
	अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	**29.56**	**38.99**
	कुल (क से च)	**24,396.94**	**24,399.21**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.1 कार्मिकों को ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत विनिर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान कार्यक्रम के साथ कर्मचारियों के ऋण को बढ़ा दिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) **प्रतिभूत ऋण**		
–मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	12.64	7.39
उप - जोड़ (क)	**12.64**	**7.39**
(ख) **अप्रतिभूत ऋण**		
–मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.18	0.28
– अन्य को	29.13	32.27
उप - जोड़ (ख)	**29.31**	**32.55**
जोड़ (क +ख)	**41.95**	**39.94**

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹8.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.16 करोड़) है, शामिल है।

11.2 अन्य वसूली योग्य राशियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	88.04	30.85
जोड़ें : वर्ष के दौरान सृजित	10.23	59.29
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया/समायोजित किया गया	(7.59)	(2.10)
अंतिम शेष	**90.68**	**88.04**

12 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	3,284.80	227.47
आय कर हेतु प्रावधान	(3,110.11)	(72.35)
उप-जोड़	**174.69**	**155.12**
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.20	5.20
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(0.25)
उप-जोड़	**4.95**	**4.95**
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**179.64**	**160.07**

13 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,134.74	2,437.71

13.1 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,743.25	714.65			3,457.90
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.53	1.81			6.34
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.26	0.15			5.41
निवेशों का उचित मूल्यांकन	3.57	2.29	2.55		8.41
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	27.81	11.16	26.09		65.07
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,784.42**	**730.06**	**28.64**	-	**3,543.13**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विभिन्न कर आधार में देय	2.12	10.81			12.93
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	153.26	(2.21)			151.05
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	191.33	24.90			216.24
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	-	28.17			28.17
अन्य	-	-			-
कुल आस्थगित कर देयताएं	**346.71**	**61.67**	-	-	**408.39**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,437.71**	**668.39**	**28.64**	-	**3,134.74**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,275.92	467.33			2,743.25
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.01	0.52			4.53
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.51	(0.25)			5.26
निवेशों का उचित मूल्यांकन	10.00	(0.42)	(6.01)		3.57
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	439.65	(308.70)	(103.14)		27.81
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,735.09**	**158.48**	**(109.15)**	-	**2,784.42**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विभिन्न कर आधार में देय	1.80	0.32			2.12
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	448.95	(295.69)			153.26
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	237.45	(46.13)			191.33
अन्य	12.57	(12.57)			-
कुल आस्थगित कर देयताएं	**700.77**	**(354.07)**	-	-	**346.71**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,034.32**	**512.55**	**(109.15)**	-	**2,437.71**

14 निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	अंतिम शेष
31 मार्च 2022 के अनुसार	0.01	-	0.01	-
31 मार्च 2021 के अनुसार	0.01	-	-	0.01

14.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान उसी की बिक्री की गई है।

14.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्यः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
धारित मूल्य	-	0.01
उचित मूल्य	-	0.90

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरें और वर्तमान कीमतें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल–3 में शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर									पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	राइट- ऑफ-यूज लैंड	भवन	प्लांट एवं उपस्कर	फर्नीचर और फिक्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल धारित मूल्य												
31.03.2020 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**-**	**11.62**	**20.25**	**19.97**	**0.40**	**195.96**	**287.62**	**0.77**	**13.62**
परिवर्धन	-	-	98.66	-	9.65	4.71	5.10	-	118.12	131.70	-	0.02
पूंजीगत लागत उधारियां										22.04		
निपटान	-	-	-	-	0.72	3.28	7.97	-	11.97	105.69	-	-
31.03.2021 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**130.40**	**-**	**20.55**	**21.68**	**17.10**	**0.40**	**302.11**	**335.67**	**0.77**	**13.64**
परिवर्धन	-	-	303.73	19.90	47.55	3.30	7.14	-	381.62	32.35	-	1.02
पूंजीगत लागत उधारियां									-	5.10		
निपटान/समायोजन	-	-	3.30	-	0.69	0.92	0.86	-	5.77	367.05	0.77	-
31.03.2022 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**430.83**	**19.90**	**67.41**	**24.06**	**23.38**	**0.40**	**677.96**	**6.07**	**-**	**14.66**
संचित अवमूल्यन/परिशोधन												
31.03.2020 के अनुसार	**-**	**0.32**	**9.06**	**-**	**6.66**	**14.38**	**12.22**	**0.32**	**42.96**	**-**	**-**	**4.82**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.03	0.75	-	0.94	2.69	2.38	0.02	6.81	-	-	2.72
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	0.20	2.60	4.98	-	7.78	-	-	-
31.03.2021 के अनुसार	**-**	**0.35**	**9.81**	**-**	**7.40**	**14.47**	**9.62**	**0.34**	**41.99**	**-**	**-**	**7.54**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	4.96	0.95	3.65	3.05	2.43	0.03	15.09	-	-	2.87
निपटान के लिए समायोजन	-	-	1.26	-	0.41	0.71	0.41	-	2.79	-	-	-
31.03.2022 के अनुसार	**-**	**0.37**	**13.51**	**0.95**	**10.64**	**16.81**	**11.64**	**0.37**	**54.29**	**-**	**-**	**10.41**
31.03.2021 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.24**	**120.59**	**-**	**13.15**	**7.21**	**7.48**	**0.06**	**260.12**	**335.67**	**0.77**	**6.10**
31.03.2022 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.22**	**417.32**	**18.95**	**56.77**	**7.25**	**11.74**	**0.03**	**623.67**	**6.07**	**-**	**4.25**

15.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में टाइटल डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(क) 31 मार्च, 2022 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का विवरण	सकल धारित मूल्य	निवल धारित मूल्य	आयोजित टाइटल डीड का नाम	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या संबंधित या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति कब से धारित है	कंपनी के नाम का आयोजन नहीं होने का कारण
भवन – कार्यालय कोर 4 में, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003	4.59	2.01	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताएं, कंपनी को आवंटित कार्यालय फ्लैट स्कोप में कंपनी के नाम पर केंद्र सरकार कॉम्प्लेक्स को पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) 31 मार्च, 2021 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का विवरण	सकल धारित मूल्य	निवल धारित मूल्य	आयोजित टाइटल डीड का नाम	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या संबंधित या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति कब से धारित है	कंपनी के नाम का आयोजन नहीं होने का कारण
भवन – कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 में	4.59	2.07	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताएं, कंपनी को आवंटित कार्यालय फ्लैट स्कोप में कंपनी के नाम पर केंद्र सरकार कॉम्प्लेक्स को पंजीकृत नहीं किया गया है।

15.2 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.30	3.30
निवल धारित मूल्य	2.27	2.31

15.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी)

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार					31 मार्च 2021 के अनुसार				
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	6.07	-	-	-	6.07	153.75	90.67	69.71	21.54	335.67

रिपोर्टिंग वर्ष जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया है, वहां कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

(ख) सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार					31 मार्च 2021 के अनुसार				
	पूरा किया जाना है				जोड़	पूरा किया जाना है				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं										
–गुरुग्राम में आरईसी वैश्विक मुख्यालय	6.07	-	-	-	6.07	329.60	6.07	-	-	335.67

15.4 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां

विकास एजिंग कार्यक्रम के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार					31 मार्च 2021 के अनुसार				
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	-	-	0.12	-	0.65	0.77

रिपोर्टिंग वर्ष के अनुसार विकास के तहत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया है या जो अपनी मूल योजना की तुलना में लागत से अधिक हो गई है या जहां पूर्णता अतिदेय है।

15.5 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई घटनाएं अथवा कोई परिवर्तन नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 'परिसंपत्तियों की क्षति' के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तद्नुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

15.5 जबकि कंपनी ने किसी अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, फिर भी कंपनी ने इंड एएस 23 'उधार लेने की लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए 7.94% (पिछले वर्ष 8%) उधार की औसत दर पर सामान्य उधारियों के लिए उधार लेने की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया गया है।

15.6 भारतीय लेखांकन मानक 38 *"अमूर्त परिसंपत्तियां"* के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20% (परिसंपत्ति की कुल लागत ₹5,000 या उससे कम होने की स्थिति में 100%)

16 अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	अप्रतिभूति, शोध्य समझे गए		
(क)	पूंजीगत अग्रिम	8.19	8.84
(ख)	अन्य अग्रिम	2.88	3.34
(ग)	सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	20.35	47.47
(घ)	पूर्व–व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	0.40	3.45
(ङ)	पूर्वप्रदत्त व्यय	3.11	4.29
(च)	आस्थगित कार्मिक लागत	11.11	14.09
(छ)	अन्य परिसंपत्तियां	0.02	0.02
	जोड़ (क से छ)	**46.06**	**81.50**

17 बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
बिक्री–भवन के लिए धारित वर्गीकृत संपत्ति	0.86	-
जोड़	**0.86**	-

17.1 "अपनी निष्क्रिय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के उद्देश्य से, वर्ष के दौरान कंपनी ने ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से, इंड–एएस 105 के तहत यथा–अपेक्षित "बिक्री के धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तिया" के तहत वर्गीकृत ₹1.18 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के मूल्य वाली कुछ आवासीय भवन इकाईयों का निपटान किया है। ऐसी बिक्री के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान ₹30.19 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का लाभ हुआ है (टिप्पणी 31 देखें)। इसके अतिरिक्त, "बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां" के तहत वर्गीकृत ₹0.86 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के मूल्य वाली आवासीय भवन इकाईयां 31 मार्च 2022 तक निपटान के लिए लंबित हैं। उनके निपटान की प्रक्रिया वर्ष 2022–23 के दौरान ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पूरा होने की उम्मीद है।"

18 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,065.31	3,470.00	3,679.52
(ii)	54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	24,146.13	25,025.49	17,264.97	17,901.65
(iii)	कर मुक्त बॉण्ड	11,808.74	12,205.52	12,648.41	13,090.89
(iv)	बॉण्ड आवेदन राशि	1,291.54	1,291.13	856.62	854.71
	उप - जोड़ (क)	**39,201.41**	**40,587.45**	**34,240.00**	**35,526.77**
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	1,44,086.60	1,49,010.97	1,69,868.60	1,75,719.53
(ii)	अवसंरचना बॉण्ड	3.96	8.00	11.07	21.36
(iii)	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	30,322.85	30,027.15	26,461.71	26,060.40
	उप - जोड़ (ख)	**1,74,413.41**	**1,79,046.12**	**1,96,341.38**	**2,01,801.29**
	कुल - ऋण प्रतिभूतियां (क+ख)	**2,13,614.82**	**2,19,633.57**	**2,30,581.38**	**2,37,328.06**
	भारत में/से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां				
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,83,291.97	1,89,606.42	2,04,119.67	2,11,267.66
(ii)	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	30,322.85	30,027.15	26,461.71	26,060.40
	जोड़- ऋण प्रतिभूतियां	**2,13,614.82**	**2,19,633.57**	**2,30,581.38**	**2,37,328.06**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 20.2 देखें

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण - *प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 19.5 का संदर्भ लें*

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
123-I श्रृंखला – 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	-	-	1,515.00	1,615.61
123-III बी श्रृंखला – 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,065.31	1,955.00	2,063.91
जोड़-संस्थागत बॉण्ड	**1,955.00**	**2,065.31**	**3,470.00**	**3,679.52**

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XII (2018-19) 5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	6,651.77	6,937.05	6,651.77	6,935.40
श्रृंखला XIII (2019-20) 5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान विमोचनीय	6,157.72	6,417.26	6,157.72	6,415.55
श्रृंखला XIV (2020-21) 5.75% और 5% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान विमोचनीय	5,312.07	5,510.93	4,455.48	4,550.70
श्रृंखला XV (2020-21) 5% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विमोचनीय	6,024.57	6,160.25	-	-
जोड़-54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**24,146.13**	**25,025.49**	**17,264.97**	**17,901.65**

(iii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2011-12	2,160.33	2,287.99	3,000.00	3,176.71
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2ए एंव 2बी	500.00	512.60	500.00	531.26
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	2,017.35	2,065.32	2,017.35	2,041.10
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	131.06	134.06	131.06	138.66
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	1,350.00	1,413.35	1,350.00	1,358.55
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोचनीय हैं और ₹1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोचनीय हैं।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	3,440.60	3,528.73	3,440.60	3,530.70
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोचनीय हैं, ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोचनीय हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	150.00	155.48	150.00	161.92
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	1,059.40	1,086.83	1,059.40	1,131.05
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोचनीय हैं, ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोचनीय है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5ए	300.00	306.33	300.00	317.75
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2015-16 भाग 1	700.00	714.82	700.00	703.19
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोचनीय हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोचनीय है और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोचनीय हैं।				
जोड़ - कर मुक्त बॉण्ड	**11,808.74**	**12,205.52**	**12,648.41**	**13,090.89**

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	1,291.54	1,291.13	856.62	854.71
5% आबंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय				
जोड़: बॉण्ड आवेदन राशि	**1,291.54**	**1,291.13**	**856.62**	**854.71**

18.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
157 वीं श्रृंखला - 7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	-	-	1,055.00	1,131.66
154 वीं श्रृंखला - 7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	-	-	600.00	637.16
161 वीं श्रृंखला - 7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	-	-	800.00	849.11
174 वीं श्रृंखला - 8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	-	-	2,720.00	2,894.23
100 वीं श्रृंखला - 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	-	-	1,500.00	1,602.90
101 वीं -III श्रृंखला - 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	-	-	3,171.80	3,364.42
184 वीं बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-बी - 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2021 को विमोचनीय**	-	-	300.00	311.58
139 वीं श्रृंखला - 7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	-	-	2,500.00	2,575.17

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
105 वीं श्रृंखला - 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	-	-	3,922.20	4,069.73
127 वीं श्रृंखला - 8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,550.00	1,664.92
141 वीं श्रृंखला - 7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,020.00	1,038.03
177 वीं श्रृंखला - 8.50% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,245.00	1,274.16
190 वीं बी श्रृंखला - 6.32% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	-	-	2,489.40	2,502.64
193 वीं श्रृंखला - 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	-	-	1,115.00	1,121.46
165 वीं श्रृंखला - 8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	-	-	2,171.00	2,207.16
145 वीं श्रृंखला - 7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	-	-	625.00	628.85
132 वीं श्रृंखला - 8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	-	-	700.00	750.81
173 वीं श्रृंखला - 8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.3.2022 को विमोचनीय	-	-	2,500.00	2,509.41
198 वीं ए श्रृंखला - 6.60% सममूल्य पर दिनांक 21.03.2022 को विमोचनीय	-	-	2,596.00	2,600.39
167 वीं श्रृंखला - 8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	-	-	2,571.80	2,577.65
179 वीं श्रृंखला - 8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	1,000.00	1,065.84	1,000.00	1,065.70
107 वीं श्रृंखला - 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	2,554.82	2,378.20	2,554.56
186 वीं ए श्रृंखला - 6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,629.90	2,500.00	2,629.63
150 वीं श्रृंखला - 7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	2,775.76	2,670.00	2,775.38
184 वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-सी - 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय**	300.00	311.59	300.00	311.56
152 वीं श्रृंखला - 7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	1,264.38	1,225.00	1,264.18
111 वीं-II श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	2,283.72	2,211.20	2,283.50
155 वीं श्रृंखला - 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	1,959.41	1,912.00	1,958.74
185 वीं श्रृंखला - 7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	2,769.00	2,827.36	2,769.00	2,826.46
187 वीं श्रृंखला - 7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	2,090.00	2,127.51	2,090.00	2,127.24
159 वीं श्रृंखला - 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	957.53	950.00	957.57
188 वीं ए श्रृंखला - 7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	1,400.00	1,400.22	1,400.00	1,400.17
114 वीं श्रृंखला - 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,667.36	4,300.00	4,666.94
195 वीं श्रृंखला - 6.92% सममूल्य पर दिनांक 22.04.2023 को विमोचनीय	2,985.00	3,179.43	2,985.00	3,179.21
191 वीं ए श्रृंखला - 6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.39	1,100.00	1,106.06
200 वीं श्रृंखला पीपी-एमएलडी - 5.36% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय*	500.00	546.01	500.00	518.94
184 वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-डी - 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय**	300.00	311.57	300.00	311.54
202 वीं बी श्रृंखला - 5.69% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2023 को विमोचनीय	2,474.00	2,544.12	2,474.00	2,556.56
205 वीं-ए श्रृंखला - 4.99% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2024 को विमोचनीय	2,135.00	2,151.79	2,135.00	2,157.04
209 वीं श्रृंखला - 5.79% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2024 को विमोचनीय	1,550.00	1,552.38	1,550.00	1,552.62
210 वीं श्रृंखला - 5.74% सममूल्य पर दिनांक 20.06.2024 को विमोचनीय	4,000.00	4,215.56	-	-
180 वीं ए श्रृंखला - 8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,075.09	1,018.00	1,072.68
191 वीं बी श्रृंखला - 6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.48	1,100.00	1,106.18
212 वीं श्रृंखला - फ्लोटिंग (टी–बिल से जुड़ी) सममूल्य पर दिनांक 31.10.2024 को विमोचनीय	2,500.00	2,538.84	-	-
186 वीं बी श्रृंखला - 7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,537.91	1,500.00	1,537.78
128 वीं श्रृंखला - 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.88	2,250.00	2,418.67
129 वीं श्रृंखला - 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.71	1,925.00	2,063.52
130 वीं श्रृंखला - 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,493.36	2,325.00	2,493.14
131 वीं श्रृंखला - 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.25	2,285.00	2,304.22
190 वीं ए श्रृंखला - 6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,514.48	2,500.00	2,513.83
201 वीं ए श्रृंखला - 5.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2025 को विमोचनीय	900.00	935.39	900.00	935.50

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
133 वीं श्रृंखला - 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,453.50	2,396.00	2,453.28
94 वीं श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.00	1,250.00	1,339.00
95 वीं-II श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.49	1,800.00	1,913.49
136 वीं श्रृंखला - 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,670.75	2,585.00	2,671.10
203 वीं बी श्रृंखला - 5.85% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2025 को विमोचनीय	2,777.00	2,821.01	2,777.00	2,844.16
204 वीं बी श्रृंखला - 5.81% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2025 को विमोचनीय	2,082.00	2,111.47	2,082.00	2,116.78
205 वीं-बी श्रृंखला - 5.94% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2026 को विमोचनीय	2,000.00	2,018.82	2,000.00	2,024.68
211 वीं-श्रृंखला - 6.23% सममूल्य पर दिनांक 31.10.2031 को विमोचनीय पुट/कॉल विकल्प के साथ 31.10.2026 को प्रयोग किया जा सकता है	1,200.00	1,232.57	-	-
140 वीं श्रृंखला - 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,152.19	2,100.00	2,151.65
142 वीं श्रृंखला - 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,066.06	3,000.00	3,055.87
147 वीं श्रृंखला - 7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,750.60	2,745.00	2,745.44
156 वीं श्रृंखला- 7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,614.30	3,533.00	3,612.72
162 वीं श्रृंखला- 8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.39	2,500.00	2,637.36
163 वीं श्रृंखला- 8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,628.01	2,500.00	2,627.99
168 वीं श्रृंखला- 8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,625.69	2,552.40	2,624.45
169 वीं श्रृंखला- 8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,620.97	2,554.00	2,621.52
176 वीं- श्रृंखला- 8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.73	1,600.70	1,735.65
178 वीं- श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,169.96	1,097.00	1,168.79
180 वीं-बी श्रृंखला- 8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,169.56	2,070.90	2,166.39
184 वीं-ए श्रृंखला- 8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय	870.60	907.18	580.40	604.76
192 वीं श्रृंखला- 7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,396.36	2,382.00	2,395.75
188 वीं बी श्रृंखला- 7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.09	1,100.00	1,100.08
189 वीं श्रृंखला- 7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.91	3,054.90	3,054.85
197 वीं श्रृंखला- 7.55% सममूल्य पर दिनांक 11.05.2030 को विमोचनीय	3,740.00	3,989.89	3,740.00	3,989.76
198 वीं बी श्रृंखला- 7.79% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2030 को विमोचनीय	1,569.00	1,673.76	1,569.00	1,673.70
202 वीं ए श्रृंखला- 7.25% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2030 को विमोचनीय	3,500.00	3,627.03	3,500.00	3,649.96
203 वीं ए श्रृंखला- 6.80% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2030 को विमोचनीय	5,000.00	5,094.06	5,000.00	5,142.50
204 वीं ए श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2031 को विमोचनीय	2,500.00	2,527.79	2,500.00	2,527.31
201 वीं बी श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2031 को विमोचनीय	1,300.00	1,359.79	1,300.00	1,360.02
213 वीं श्रृंखला- 6.92% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2032 को विमोचनीय	1,380.00	1,382.86	-	-
182 वीं श्रृंखला- 8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,314.67	5,063.00	5,314.66
183 वीं श्रृंखला- 8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.24	3,028.00	3,163.23
207 वीं श्रृंखला- 7.02% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2036 को विमोचनीय	4,589.90	4,641.75	4,589.90	4,644.40
208 वीं श्रृंखला- 7.40% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2036 को विमोचनीय	3,613.80	3,625.48	3,613.80	3,627.67
जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	**1,44,086.60**	**1,49,010.97**	**1,69,868.60**	**1,75,719.53**

** पीपी–एमएलडी–प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स*

*** एसटीआरपीपी–अलग से हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल भाग*

(ii) अवसंरचना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला-II (2011-12) - सममूल्य पर विमोचनीय	3.96	8.00	11.07	21.36
जोड़ : अवसंरचना बॉण्ड	**3.96**	**8.00**	**11.07**	**21.36**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जारी किए गए अवसरंचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	-	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	-	1.38	
9.15% संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
जोड़	**3.96**	**11.07**	

राशियों को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
4.75% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 19.05.2023 को विमोचनीय	3,790.36	3,848.85	3,675.24	3,726.60
5.250% यूएस $700 मिलियन बाण्ड - सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,306.50	5,387.23	5,145.33	5,209.90
3.375% यूएस $650 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	4,927.46	4,941.02	4,777.81	4,784.36
3.50% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	3,790.36	3,822.14	3,675.24	3,703.43
2.25% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 01.09.2026 को विमोचनीय	3,790.36	3,785.82	3,675.24	3,672.19
2.75% यूएस $400 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 13.01.2027 को विमोचनीय	3,032.28	3,045.13	-	-
3.875% यूएस $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,411.32	3,102.47	3,307.71	2,956.72
4.625% यूएस $300 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,274.21	2,094.49	2,205.14	2,007.20
जोड़- विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**30,322.85**	**30,027.15**	**26,461.71**	**26,060.40**

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स–एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज – सिक्योरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई–आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज – इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	**यूएसडी 0.4 बिलियन**	**यूएसडी 1 बिलियन**
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 4.4 बिलियन	यूएसडी 4 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 4.0 बिलियन	यूएसडी 3.6 बिलियन

वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग ऑफरिंग सर्कुलर में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट की तारीख को कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने सभी ऋण सेवा दायित्वों, चाहे मूलधन या ब्याज, को पूरा किया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

19. उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ**				
(i)	बैंकों से आवधिक ऋण	42,878.32	42,919.86	29,938.58	29,953.76
(ii)	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	6,800.00	6,800.00	5,800.00	5,800.00
(iii)	विदेशी मुद्रा उधारियाँ	35,634.60	35,329.87	21,024.72	20,890.94
(iv)	भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
(v)	पट्टा देयताएं	0.03	0.03	0.05	0.05
	उप-जोड़ (क)	**95,312.95**	**95,374.88**	**66,763.35**	**66,969.87**
(ख)	**अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ**				
(i)	एफसीएनआर (बी) ऋण	9,854.92	9,861.13	5,329.10	5,335.01
(ii)	बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण/ऋण प्रतिदेय	1,410.93	1,415.58	10,186.52	10,201.99
(iii)	धारक कंपनी से मांग पर ऋण प्रतिदेय	-	-	3,000.00	3,000.49
	उप-जोड़ (ख)	**11,265.85**	**11,276.71**	**18,515.62**	**18,537.49**
	कुल- उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ख)	**1,06,578.80**	**1,06,651.59**	**85,278.97**	**85,507.36**
	भारत में / से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i)	भारत में उधारियाँ	70,944.20	71,321.72	64,254.25	64,616.42
(ii)	भारत से बाहर उधारियाँ	35,634.60	35,329.87	21,024.72	20,890.94
	जोड़ - उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)	**1,06,578.80**	**1,06,651.59**	**85,278.97**	**85,507.36**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच पुनर्मिलान के लिए कृपया टिप्पणी संख्या 20.2 देखें

19.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- केनरा बैंक 05.07.2021 को ₹ 500 करोड़ का पुनर्भुगतान 03.01.2022 को ₹ 500 करोड़ का पुनर्भुगतान	-	-	1,000.00	1,000.00
-बैंक ऑफ बड़ौदा 29.10.2021 को ₹ 2000 करोड़ का पुनर्भुगतान	-	-	2,000.00	2,000.36
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7 अर्ध–वार्षिक किश्तों में ₹ 4,999.98 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 14.07.2022 को देय है; 3 वार्षिक किश्तों में ₹ 1,379.46 करोड़ प्रतिदेय, अगली किश्त 05.09.2022 को देय है एवं ₹ 2,349.86 करोड़ के साथ ₹ 1650 करोड़ 15.10.2022 को प्रतिदेय एवं 05. 03.2023 को ₹ 699.86 करोड़, और ₹ 4,000 करोड़ संरचित किश्त प्रतिदेय है, पहली किस्त 29.10.2023 को प्रतिदेय	12,729.30	12,729.30	10,839.90	10,839.90
- एचडीएफसी 30.09.2022 को ₹ 650 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.12.2022 को ₹ 2000 करोड़ प्रतिदेय, 15.06.2023 को ₹ 2000 करोड़ प्रतिदेय, 19.06. 2023 को ₹ 1500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय, 30.09.2023 को ₹ 1500 करोड़ प्रतिदेय एवं 11.10.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 05.11.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 15. 01.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 17.11.2026 को ₹ 850 करोड़ प्रतिदेय एवं 31.03.2027 को ₹ 2000 करोड़ प्रतिदेय	12,000.00	12,040.15	4,650.00	4,664.47

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- पंजाब नेशनल बैंक 3 वार्षिक किश्तों में ₹ 1,996.98 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 27.08.2023 को देय है, ₹ 2,000 करोड़ 11.11.2026 को प्रतिदेय, 5 वार्षिक किश्तों में ₹ 1,000 करोड़ को प्रतिदेय, पहली किश्त 29.03.2028 को देय है	4,996.98	4,996.98	4,396.84	4,396.84
-आईसीआईसीआई बैंक 9 वार्षिक किश्तों में ₹ 2,000 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 28.09.2023 को देय है, 17 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹ 850 करोड़ को प्रतिदेय, पहली किश्त 09.12.2023 को देय है	2,850.00	2,850.48	-	-
- ड्यूश बैंक 18.12.2023 को ₹ 500 करोड़ का प्रतिदेय, 21.05.2024 को ₹ 500 करोड़ का प्रतिदेय	1,000.00	1,000.15	500.00	500.08
- जेपी मार्गन चेस बैंक 26.03.2024 को ₹ 1,500 करोड़ प्रतिदेय	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
-बैंक ऑफ इंडिया 5 वार्षिक किश्तों में ₹ 749.87 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 27.09.2024 को देय है।	749.87	750.00	-	-
- एचएसबीसी 19.05.2025 को ₹ 565 करोड़ प्रतिदेय, 18.12.2025 को ₹ 187.49 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2026 को ₹ 900 करोड़ प्रतिदेय, 06.07.2026 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 09.07.2026 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2030 को ₹ 85 करोड़ प्रतिदेय एवं 28.03.2030 को ₹ 665 करोड़ प्रतिदेय	3,402.49	3,403.03	1,652.50	1,652.77
-सेंट्रल बैंक 7 वार्षिक किश्तों में ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 28.02.2026 को देय है।	500.00	500.00	-	-
-जम्मू एवं कश्मीर बैंक 28.10.2026 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय।	300.00	300.05	-	-
-करूर वैश्य बैंक 29.10.2026 को ₹ 250 करोड़ प्रतिदेय।	250.00	250.04	-	-
-साऊथ इंडियन बैंक 08.11.2026 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय।	300.00	300.00	-	-
- मिजुहो बैंक 21.01.2027 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय।	300.00	300.00	-	-
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5 वार्षिक किश्तों में ₹ 1,999.68 करोड़ प्रतिदेय एवं पहली किश्त 31.03.2027 को देय है।	1,999.68	1,999.68	3,399.34	3,399.34
जोड़ - बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	**42,878.32**	**42,919.86**	**29,938.58**	**29,953.76**

(ii) अन्य-वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) 03.06.2022 को ₹ 1,000 करोड़ प्रतिदेय एवं 23.06.2023 को ₹ 800 करोड़ प्रतिदेय, 23.02.2024 को ₹ 1500 करोड़ प्रतिदेय, 14.03.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2026 को ₹ 1000 करोड़ प्रतिदेय, 27.03.2026 को ₹ 1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 09.08.2026 को ₹ 1000 करोड़ प्रतिदेय	6,800.00	6,800.00	5,800.00	5,800.00
जोड़ - अन्य-वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण	**6,800.00**	**6,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
जेआईसीए ऋण - जेआईसीए–II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2022 को देय ही रही है	23.47	23.48	50.06	50.07
केएफडब्ल्यू-III ऋण - 30.03.2024 तक € 5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2022 को देय है।	222.81	223.55	317.22	317.87
उप-जोड़ - (1)	**246.28**	**247.03**	**367.28**	**367.94**
(2) ओडीए ऋण - भारत सरकार की गारंटी के बिना				
केएफडब्ल्यू - IV ऋण - 15.11.2030 तक € 12.00 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 15.05.2022 को देय है।	1,637.43	1,639.80	1,241.16	1,243.23
उप-जोड़ - (2)	**1,637.43**	**1,639.80**	**1,241.16**	**1,243.23**
(3) द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण				
यूएस $100 मिलियन- 05.10.2021 को प्रतिदेय	-	-	735.05	733.36
यूएस $230 मिलियन- 19.01.2022 को प्रतिदेय	-	-	1,690.61	1,676.86
यूएस $200 मिलियन- 28.07.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,516.11	1,470.09	1,461.67
यूएस $150 मिलियन- 11.09.2022 को प्रतिदेय	1,137.11	1,136.75	1,102.57	1,097.49
यूएस $250 मिलियन- 29.08.2023 को प्रतिदेय	1,895.18	1,895.18	1,837.62	1,831.68
¥10,327.12 मिलियन- 08.08.2023 को प्रतिदेय	642.66	636.04	685.31	673.06
यूएस $250 मिलियन- 27.03.2024 को प्रतिदेय	1,895.18	1,880.88	1,837.62	1,815.96
यूएस $150 मिलियन- 29.03.2024 को प्रतिदेय	1,137.11	1,125.35	1,102.57	1,085.82
यूएस $100 मिलियन- 01.07.2024 को प्रतिदेय	758.07	755.34	735.05	729.68
एसजी $72.08 मिलियन- 30.03.2025 को प्रतिदेय	403.21	396.92	391.79	383.78
यूएस $75 मिलियन- 30.03.2025 को प्रतिदेय	568.55	561.90	551.29	542.57
यूएस $170 मिलियन- $100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय एवं $70 मिलियन– 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,288.72	1,288.65	1,249.58	1,249.55
¥ 10,519 मिलियन- 25.09.2025 को प्रतिदेय	654.60	645.86	698.04	686.00
यूएस $425 मिलियन- 16.03.2026 को प्रतिदेय	3,221.80	3,207.65	3,123.95	3,095.46
यूएस $600 मिलियन- 25.08.2026 को प्रतिदेय	4,548.43	4,499.53	-	-
यूएस $ 75 मिलियन- 07.10.2026 को प्रतिदेय	568.55	565.00	-	-
यूएस $1175 मिलियन- 29.12.2026 को प्रतिदेय	8,907.33	8,751.96	-	-
¥ 37506 मिलियन- 03.03.2027 को प्रतिदेय	2,334.04	2,293.52	-	-
यूएस ¥300 मिलियन- 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,274.21	2,286.40	2,205.14	2,216.83
उप- जोड़ (3)	**33,750.89**	**33,443.04**	**19,416.28**	**19,279.77**
उप-जोड़-विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	**35,634.60**	**35,329.87**	**21,024.72**	**20,890.94**

(iv) भारत सरकार से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- नेशनल स्माल सेविंग्स फण्ड(एनएसएसएफ) से ऋण 13.12.2028 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
जोड़ - सरकार से आवधिक ऋण	**10,000.00**	**10,325.12**	**10,000.00**	**10,325.12**

19.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(i) एफसीएनआर (बी) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $75 मिलियन- 22.04.2021 को प्रदत्त	-	-	551.29	553.09
यूएस $75 मिलियन- 20.05.2021 को प्रदत्त	-	-	551.29	553.11
यूएस $75 मिलियन- 15.11.2021 को प्रदत्त	-	-	551.29	551.29
यूएस $200 मिलियन- 20.12.2021 को प्रदत्त	-	-	1,470.09	1,470.15
यूएस $200 मिलियन- 30.12.2021 को प्रदत्त	-	-	1,470.09	1,472.31
यूएस $100 मिलियन- 30.12.2021 को प्रदत्त	-	-	735.05	735.06
यूएस $200 मिलियन- 24.05.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,517.78	-	-
यूएस $150 मिलियन- 27.05.2022 को प्रतिदेय	1,137.11	1,137.16	-	-
यूएस $200 मिलियन- 30.06.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,516.21	-	-
यूएस $25 मिलियन- 07.06.2022 को प्रतिदेय	189.52	189.72	-	-
यूएस $150 मिलियन- 18.06.2022 को प्रतिदेय	1,137.11	1,137.17	-	-
यूएस $200 मिलियन- 10.12.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,517.90	-	-
यूएस $75 मिलियन- 14.12.2022 को प्रतिदेय	568.55	569.21	-	-
यूएस $200 मिलियन- 30.12.2022 को प्रतिदेय	1,516.14	1,517.91	-	-
यूएस $100 मिलियन- 23.02.2023 को प्रतिदेय	758.07	758.07	-	-
जोड़ -एफसीएनआर (बी) ऋण	**9,854.92**	**9,861.13**	**5,329.10**	**5,335.01**

19.3 टिप्पणी संख्या 19.1 (i), (ii) तथा (iv) में उल्लिखित है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से आवधिक ऋण 5.00% से 8.29% मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

19.4 टिप्पणी संख्या 19.1(iii) में विदेशी मुद्रा उधारियां, 1/3/6 माह के यूएसडी लिबोर (लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट), एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) और नई बेंचमार्क दरों में ऋण के परिवर्तन पर यथालागू क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड सहित बाह्य बेंचमार्कों पर 0.65% से 1.86% प्रति वर्ष की नियत ब्याज दरों और 13 बीपीएस से 210 बीपीएस की परिवर्तनीय ब्याज दरों पर जुटाई गई हैं।

19.5 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों और उधार के सुरक्षा विवरण कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और जो तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया हैं, के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 123–III बी को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के बुक ऋण जो अन्य ऋणदाता/ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्डों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की ₹4,998.66 करोड़ की प्राप्तियों के अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड्स को एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2015–16 के दौरान जारी की गई 54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्शन बॉण्ड और टैक्स फ्री बॉण्ड्स की बॉण्ड सीरीज XII और XIII को (क) उप–प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम – सुभानपुरा, जिला वडोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्शन बॉण्ड की शृंखला XIV और XV को एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) के मूल्य के लिए टिप्पणी संख्या 9 और 15.2 देखें।

19.6 संबंधित वैधानिक तिथि से परे कंपनी रजिस्ट्रार आरओसी के साथ अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।

20. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i)	**115वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	2,668.11	2,500.00	2,667.90
(ii)	**175वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,100.70	2,151.20	2,151.45
(iii)	**199वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स -** 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,047.66	1,999.50	2,127.54
	जोड़ - अधीनस्थ देयताएं	**6,650.70**	**6,816.47**	**6,650.70**	**6,946.89**
	भारत के बाहर/में अधीनस्थ देयताएं				
(i)	भारत में उधारियां	6,650.70	6,816.47	6,650.70	6,946.89
(ii)	भारत के बाहर उधारियां	-	-	-	-
	जोड़ - अधीनस्थ देयताएं	**6,650.70**	**6,816.47**	**6,650.70**	**6,946.89**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 20.2 देखें।

20.1 वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घावधि उधारियां	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी–एमएलडी एएएआर, इक्रा पीपी–एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एए+
घरेलू अल्पावधि उधारियां	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी– (फिच), बीएए3 (मूडीज)

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

20.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदागत राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2022 के अनुसार				
भारतीय-लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**2,19,633.57**	**1,06,651.59**	**6,816.47**	**3,33,101.63**
घटाएं: भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,737.95)	(430.69)	(296.94)	(7,465.58)
जोड़ें: भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	719.20	357.90	131.17	1,208.27
कुल बकाया उधारियां	**2,13,614.82**	**1,06,578.80**	**6,650.70**	**3,26,844.32**
31 मार्च 2021 के अनुसार				
भारतीय-लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**2,37,328.06**	**85,507.36**	**6,946.89**	**3,29,782.31**
घटाएं: भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(7,571.09)	(397.62)	(299.48)	(8,268.19)
जोड़ें: भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	824.41	169.23	3.29	996.93
कुल बकाया उधारियां	**2,30,581.38**	**85,278.97**	**6,650.70**	**3,22,511.05**

20.3 कंपनी बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी एंजेसियों एवं बॉण्ड से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों।

20.4 सेबी के दिनांक 10 अगस्त 2021 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2021/613 में यथाविहित 'लार्ज एंटिटियों' द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी कर निधियां जुटाने के लिए फ्रेमवर्क' के संदर्भ में कंपनी एक "लार्ज कारपोरेट" है। उक्त परिपत्र के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

	विवरण	ब्यौरा
(1)	कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड
(2)	सीआईएन	**L40101DL1969GOI005095**
(3)	31 मार्च 2022 के अनुसार कंपनी का बकाया उधार	251504.70
(4)	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ उच्चतम क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए एएए, क्रिसिल एएए, केयर एएए, आईआरआरपीएल एएए
(5)	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिसमें जुर्माना का भुगतान करना होगा, के तहत आवश्यक उधार में कमी के मामले में	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
	उधारियों का विवरण	
(i)	2 वर्ष की ब्लॉक अवधि	2021-22 एवं 2022-23
(ii)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में लिए गए वृद्धिशील उधार **(ए)**	42,966.99
(iii)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से किया जाने वाला अनिवार्य उधार **(बी)** = **(ए का 25%)**	10,741.75
(iv)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए वास्तविक ऋण **(सी)**	16,686.31
(v)	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार में कमी, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष 2021–22 में अग्रेणीत **(डी)**	शून्य
(vi)	(डी) की मात्रा, जो **(सी) (ई)** से मिश्रित है।	शून्य
(vii)	"वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में कमी, यदि कोई हो, {वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उधार में किसी भी कमी को समायोजित करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2021–22 में अग्रेणीत (एफ) = (बी)–[(ग)–(ई)]}	शून्य

**उपर्युक्त (3) में उल्लिखित ऋणों में 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले सभी बकाया ऋण शामिल हैं, लेकिन सेबी के परिपत्र के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक ऋण इसमें शामिल नहीं हैं।*

21 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	**अप्रदत्त लाभांश (टिप्पणी संख्या 21.1 देखें)**	6.39	5.79
(ख)	**वापसी योग्य बॉण्ड आवेदन राशि तथा इस पर उपचित ब्याज**	-	0.01
(ग)	**अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 21.1 देखें)**		
	–परिपक्व बॉण्ड एवं इस पर उपचित ब्याज	22.01	49.77
	–बॉण्डों पर ब्याज	6.72	18.95
	उप-जोड़ (ग)	**28.73**	**68.72**
(घ)	**सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)**	95,578.81	89,640.91
	जोड़ें: ऐसी निधियों पर ब्याज (रिफंड का निवल)	3.95	2.63
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(94,808.08)	(88,575.58)
	सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**774.68**	**1,067.96**
(च)	**भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड्स हेतु देय (टिप्पणी संख्या 21.5 देखें)**	24,318.29	24,314.43
(छ)	**अन्य देयताएं**	447.75	477.19
	जोड़ (क से छ तक)	**25,575.84**	**25,934.10**

21.1 बॉण्डों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹ 1.22 करोड़ (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹0.62 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई है।

21.2 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.73 करोड़ (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.71 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**0.71**	**0.69**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.02
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**0.73**	**0.71**

21.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियां पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य वित्तीय देयताएं" के अंतर्गत "असंवितरित सब्सिडी/के तहत वर्गीकृत किया जाता है"।

21.4 सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**2.63**	**7.75**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	19.81	26.38
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	(18.50)	(31.50)
अंतिम शेष	**3.95**	**2.63**

21.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 2,500 करोड़) राशि जुटाई गई है। दिनांक 2 दिसंबर 2020 और 3 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ–साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है। (टिप्पणी 11)

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन की तिथि	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
जीओआई –I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध–वार्षिक	21-03-2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई –II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध–वार्षिक	24-03-2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई –III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध–वार्षिक	27-03-2028	753.00	753.00
जीओआई –IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध–वार्षिक	28-09-2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई –V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध–वार्षिक	15-11-2028	3,600.00	3,600.00
जीओआई –VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध–वार्षिक	22-01-2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई –VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध–वार्षिक	08-03-2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई –VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध–वार्षिक	25-03-2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई –IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्ध–वार्षिक	02-03-2030	1,500.00	1,500.00
जीओआई –X श्रृंखला	8.25%	अर्द्ध–वार्षिक	26-03-2030	532.30	532.30
जीओआई –XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्ध–वार्षिक	31-03-2030	1,750.00	1,750.00
जीओआई –XII श्रृंखला	6.45%	अर्द्ध–वार्षिक	07-01-2031	1,000.00	1,000.00
जीओआई –XIII श्रृंखला	6.63%	अर्द्ध–वार्षिक	28-01-2031	1,000.00	1,000.00
जीओआई –XIV श्रृंखला	6.50%	अर्द्ध–वार्षिक	26-03-2031	500.00	500.00
जोड़				**24,109.30**	**24,109.30**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

22 चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आयकर के लिए प्रावधान	18.01	2,702.52
घटाएंः अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	(7.76)	(2,691.90)
चालू कर देयताएं (निवल)	**10.25**	**10.62**

22 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	निम्न के लिए प्रावधान		
(क)	**कार्मिक हितलाभ (टिप्पणी 56 देंखे)**		
	उपदान	0.34	1.30
	अर्जित अवकाश देयता	25.17	18.00
	सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	0.71	7.71
	चिकित्सा अवकाश देयता	21.49	20.91
	निपटान भत्ता	1.79	1.89
	आर्थिक पुनर्वास योजना	4.15	4.13
	दीर्घ सेवा अवार्ड	2.25	2.02
	प्रोत्साहन	27.71	47.92
	उप-जोड़ (क)	**83.61**	**103.88**
(ख)	**अन्य**		
	सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (टिप्पणी 23.1 एवं 23.2 देंखे)	20.90	9.09
	उप-जोड़ (ख)	**20.90**	**9.09**
	जोड़ (क+ख)	**104.51**	**112.97**

23.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आरंभिक शेष	**9.09**	**8.38**
जोड़ेंः वर्ष के दौरान सृजित	17.18	0.75
घटाएँः वर्ष के दौरान वापस किया गया/समायोजित किया गया	(5.37)	(0.04)
अंतिम शेष	**20.90**	**9.09**

23.2 बैंकों को जारी कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर ₹4,068.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,608.85 करोड़) वित्तीय गारंटी के रूप में उधारकर्ताओं की ओर से सुविधा पत्रों से संबंधित है।

24. अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	सुंड्री देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	4.10	5.07
(ख)	पूंजी खाते के प्रति देय देयता	26.96	28.53
(ग)	असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	28.72	68.64
(घ)	भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	0.75	0.75
(ङ)	सांविधिक देय	21.11	17.52
	जोड़ (क से ङ)	**81.64**	**120.51**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

25 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृतः				
प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर	5,00,00,00,000	5,000.00	5,00,00,00,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्तः				
प्रत्येक ₹10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,97,49,18,000	1,974.92	1,97,49,18,000	1,974.92
जोड़	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**

25.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयर	1,97,49,18,000	1,974.92	1,97,49,18,000	1,974.92
जोड़ेंः वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**

25.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016–17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे, पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

25.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन–पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

25.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

25.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकः

शेयरधारक के नाम	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	1,03,94,95,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	15,89,92,122	8.05%	16,72,55,577	8.47%

25.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित धारक कंपनियों के इक्विटी शेयरों का विवरण

शेयरधारक के नाम	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	1,03,94,95,247	52.63%

25.7 प्रमोटरों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी का नाम	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
भारत के राष्ट्रपति	-	-	-	-	-	-
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	-	1,03,94,95,247	52.63%	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26 लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
₹10 लाख प्रत्येक के पूर्णतया देय बेमियादी ऋण लिखत पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी है	5,584	558.40	5,584	558.40
जोड़	**5,584**	**558.40**	**5,584**	**558.40**

26.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया बेमियादी प्रतिभूतियों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,584	558.40	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ें/(घटाये)	-	-	5,584	558.40
वर्ष के अंत में शेष	**5,584**	**558.40**	**5,584**	**558.40**

26.2 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार निम्नलिखित धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के बेमियादी ऋण लिखतों को धारित करते है:

शेयरधारक का नाम	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	665	11.91%
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	500	8.95%

26.3 कंपनी ने प्रत्येक ₹10 लाख के अंकित मूल्य के बेमियादी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर प्रतिदेय है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे: (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे; और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर लिखतों में एक स्टेप अप का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजीगत जोखिम संपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में बेमियादी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, आवधिक कूपन भुगतानों को तदनुसार प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया जाता है।

27 अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) अन्य आरक्षित निधि		
(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	22,302.93	19,222.23
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	196.82	2,128.41
(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अधीन आरक्षित निधि	5,814.00	3,804.00
(iv) डिबेंचर रिडेंप्शन रिजर्व	-	-
(iv) प्रतिभूति प्रीमियम	2,236.54	2,236.54
(v) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	(555.29)	(573.16)
(vi) सामान्य आरक्षित निधि	11,781.62	9,850.03
(vii) इंपेयरमेंट आरक्षित निधि	-	-
(ख) प्रतिधारित अर्जन	6,915.38	4,325.09
(ग) अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
– अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतें	(37.98)	24.07
– नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	194.21	(165.61)
– हेजिंग रिजर्व की लागत	(395.95)	41.45
जोड़ - अन्य इक्विटी	**48,452.28**	**40,893.05**

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.1 नियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनायी गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की है:

निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की है:

(i) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान

(क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते एवं अन्य वसूलीयोग्य के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹ 1,931.59 करोड़

(ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

(क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते एवं अन्य वसूली योग्य के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹ 1,152.55 करोड़

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में इम्पेयरमेंट रिजर्व से सामान्य रिजर्व में ₹ 793.29 करोड़ स्थानांतरित कर दिए गए हैं

27.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**19,222.23**	**16,659.10**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	3,080.70	2,563.13
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**22,302.93**	**19,222.23**

27.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,128.41**	**2,992.83**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	288.13
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(1,931.59)	(1,152.55)
वर्ष के अंत में शेष	**196.82**	**2,128.41**

27.4 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियां

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ के कम से कम 20% राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,804.00**	**2,131.00**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,010.00	1,673.00
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**5,814.00**	**3,804.00**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,236.54**	**2,236.54**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**2,236.54**	**2,236.54**

27.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से नुकसान/लाभ के मोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के विमोचन (रिडेम्पशन) की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(573.16)**	**(1,719.38)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि(–)	(216.94)	437.65
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	234.81	708.57
वर्ष के अंत में शेष	**(555.29)**	**(573.16)**

27.7 सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**9,850.03**	**6,923.09**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	981.10
जोड़ें: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से हस्तांतरित	1,931.59	1,152.55
जोड़ें: डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से हस्तांतरित	-	-
जोड़ें: इम्पेयरमेंट रिजर्व से हस्तांतरित	-	793.29
वर्ष के अंत में शेष	**11,781.62**	**9,850.03**

27.8 इम्पेयरमेंट रिजर्व

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ता आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में कम है, तो कंपनी को कर के बाद उनके निवल लाभ से अंतर को "क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि" में विनियोजित करना आवश्यक है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आवश्यकता की समीक्षा करती है। दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान इम्पेयरमेंट रिजर्व आरक्षित के अंतर्गत रखे ₹793.29 करोड़ की राशि को इस दौरान सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**-**	**793.29**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(793.29)
वर्ष के अंत में शेष	**-**	**-**

27.9 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी लिखत

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो कंपनी इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई प्रतिधारित आय में अंतरित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**24.07**	**106.26**
जोड़ें अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	24.74	160.52
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	(86.79)	(242.71)
वर्ष के अंत में शेष	**(37.98)**	**24.07**

27.10 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(165.61)**	**(226.08)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	359.82	60.47
वर्ष के अंत में शेष	**194.21**	**(165.61)**

27.11 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में परिशोधित (एमोर्टाइज) किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**41.45**	**(204.75)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	(437.40)	246.20
वर्ष के अंत में शेष	**(395.95)**	**41.45**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.12 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,325.09**	**3,409.74**
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	10,045.92	8,361.78
जोड़ें: परिभाषित हितलाभ योजनाओं(करों का निवल) का पुनःमापन	(6.23)	(10.67)
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(981.10)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में हस्तांतरित	(3,080.70)	(2,563.13)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	-	(288.13)
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत रिजर्व निधि में हस्तांतरित	(2,010.00)	(1,673.00)
घटाएं: डिबेंचर रिडेंप्शन रिजर्व में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: इम्पेयरमेंट रिजर्व में हस्तांतरित	-	-
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी लिखत की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	86.79	242.71
घटाएं: लिखत पर कूपन भुगतान प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी (मियादी ऋण लिखतों) (करों का निवल)	(34.12)	-
घटाएं: लिखत पर निर्गम व्यय पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी (मियादी ऋण लिखतों) (करों का निवल)	-	(0.70)
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(2,411.37)	(2,172.41)
घटाएं: लाभांश वितरण कर	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**6,915.38**	**4,325.09**

27.13 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयरों के लिए घोषित/प्रस्तावित लाभांश

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि
	(₹)	(₹ करोड़ में)	(₹)	(₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	10.50	2,073.66	11.00	2,172.41
अंतिमप्रस्तावित लाभांश	4.80	947.96	1.71	337.71
कुल लाभांश	**15.30**	**3,021.62**	**12.71**	**2,510.12**

निदेशक मंडल ने 13 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹4.80/– प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

इंड–एएस 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदन के बाद ऐसा विनियोजन किया जाता है।

28 ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष			31.03.2021 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तीय पोषण	-	37,613.72	-	-	34,160.00	-
घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	-	(0.04)	-	-	(0.06)	-
दीर्घावधि वित्तीय पोषण (निवल)	-	37,613.68	-	-	34,159.94	-
(ii) अल्पावधि वित्तीय पोषण	-	197.16	-	-	69.98	-
उप-जोड़ (क)	**-**	**37,810.84**	**-**	**-**	**34,229.92**	**-**
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) दीर्घावधि निवेशों से ब्याज	-	108.06	27.15	-	27.04	195.30
उप-जोड़ (ख)	**-**	**108.06**	**27.15**	**-**	**27.04**	**195.30**
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) जमाओं पर ब्याज	-	84.66	-	-	154.41	-
उप-जोड़ (ग)	**-**	**84.66**	**-**	**-**	**154.41**	**-**
(घ) अन्य ब्याज आय						
(i) उधारकर्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	154.54	-	-	72.84	-
(ii) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	0.97	-	-	3.70	-
(iii) मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.24	-	-	0.56	-
(iv) अनविन्डिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स		-		-	0.01	-
उप-जोड़ (घ)	**-**	**155.75**	**-**	**-**	**77.11**	**-**
जोड़-ब्याज आय (क से घ)	**-**	**38,159.31**	**27.15**	**-**	**34,488.48**	**195.30**

29 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	22.43	8.43
– अन्य निवेशों से लाभांश	4.21	27.97
जोड़-लाभांश आय	**26.64**	**36.40**

29.1 अन्य निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
एफवीओसीआई इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
– वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	3.20	27.63
– वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	1.01	0.34
जोड़	**4.21**	**27.97**

30 शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	92.22	26.57
पूर्व अदायगी प्रीमियम	465.37	35.14
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	15.23	33.67
जोड़- शुल्क एवं कमीशन आय	**572.82**	**95.38**

31 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– संयुक्त उद्यम में महत्वपूर्ण प्रभाव की समाप्ति पर लाभ (टिप्पणी 10.2 देखें)	29.01	-
– बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के निपटान पर निवल लाभ/(हानि)	30.19	-
– किराए से आय	16.32	2.17
– देयताएं/प्रावधान रिटन बैक	8.93	-
– प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो से शुल्क	6.57	2.77
– आयकर वापसी से ब्याज	0.83	0.94
– विविध आय	6.11	16.67
जोड़ - अन्य आय	**97.96**	**22.55**

32. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i) उधारियों पर ब्याज		
–भारत सरकार से ऋण	822.50	820.81
–बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	2,788.79	2,090.94
–बाह्य वाणिज्यिक उधारियां	577.12	630.50
–पट्टा देयता	-	0.01
उप-जोड़ (i)	**4,188.41**	**3,542.26**
(ii) ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज		
–घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	14,763.99	15,293.60
–विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,294.73	1,196.54
–वाणिज्यिक दस्तावेज	14.76	35.32
उप-जोड़ (ii)	**16,073.48**	**16,525.46**
(iii) अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज		
–अधीनस्थ बॉण्ड	523.30	523.75
उप-जोड़ (iii)	**523.30**	**523.75**
(iv) अन्य ब्याज व्यय		
–स्वैप प्रीमियम	1,269.34	894.62
–अग्रिम आय कर पर ब्याज	-	22.71
–कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	3.48	2.32
उप-जोड़ (iv)	**1,272.82**	**919.65**
जोड़ - वित्तीय लागत	**22,058.01**	**21,511.12**
घटाएः पूंजीकृत वित्तीय लागत	(5.10)	(22.04)
जोड़- वित्तीय लागत (निवल)	**22,052.91**	**21,489.08**

33 निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन/लेन–देन विनिमय हानि/(लाभ)	799.05	330.26
जोड	**799.05**	**330.26**

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹ 234.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 708.57 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल ट्रांसलेशन/लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का विमोचन शामिल है।

33.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दरें	यूएसडी/आईएनआर	जेपीवाई/आईएनआर	यूरो/आईएनआर	एसजीडी/आईएनआर
31 मार्च 2022 के अनुसार	75.8071	0.6223	84.6599	55.9438
31 मार्च 2021 के अनुसार	73.5047	0.6636	86.0990	54.3581

34 शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	4.29	-
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.84	0.78
(iii) एजेंसी शुल्क	2.01	3.01
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	6.69	3.33
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	2.90	2.83
जोड़ (i से v)	**16.73**	**9.95**

35 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)		
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
(ii) अन्य		
– व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	351.36	545.92
– दीर्घावधिक निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(12.78)	2.43
– अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	7.99	23.98
उप-जोड़ (ii)	**346.57**	**572.33**
जोड़ (क)	**346.57**	**572.33**
उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्रेकअप		
– वसूली की गयी	365.03	590.79
– वसूली नहीं की गयी	(18.46)	(18.46)
जोड़ - उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**346.57**	**572.33**

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन अर्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा अन्य हैं और हेज अकाउंटिंग और अप्रभावी हेज के तहत नामित आर्थिक बचाव के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाते हैं।

36 वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) – ऋण*	-	3,434.36	-	2363.33
(ii) – निवेश	-	28.72	-	-
(iii) – अन्य	-	10.23	-	56.29
जोड़ (i+ii+iii)	**-**	**3,473.31**	**-**	**2419.62**

**सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹11.81 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹0.71 करोड़) शामिल हैं।*

37 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– वेतन और भत्ते	114.28	101.66
– भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	11.27	13.61
– सेवानिवृत्ति के बाद लाभांश संबंधी व्यय	7.46	4.87
–कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	3.77	2.19
– कार्मिक कल्याण व्यय	22.08	22.51
जोड़	**158.86**	**144.84**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

38 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यह्रास	15.09	6.81
– अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	2.87	2.72
जोड़	**17.96**	**9.53**

39 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– प्रत्यक्ष व्यय	165.20	139.78
– ओवरहेड्स	5.47	4.54
जोड़	**170.67**	**144.32**

39.1 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 22 जनवरी, 2021 की अपनी अधिसूचना के तहत कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 निर्दिष्ट किए हैं, जो अधिसूचना की तारीख से पूर्व–व्यापी रूप से प्रभावी हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन नियमों में यह अपेक्षा की गई है कि किसी भी चल रही परियोजना के अलावा किसी भी सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में अंतरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित है, तो इसे अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, यदि ऐसी राशि का उपयोग तीन वित्तीय वर्षों के भीतर नहीं किया जाता है, तो इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित करना आवश्यक है। कंपनी को अधिनियम के तहत आवश्यकता से अधिक खर्च की गई किसी भी राशि को अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर खर्च की जाने वाली राशि के सापेक्ष निर्धारित करने का अधिकार है।

39.2 कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 170.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 144.32 करोड़) है।

(ख) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि ₹ 170.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 144.32 करोड़) है।

(ग) सीएसआर से संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए टिप्पणी सं. 54 को देखें।

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क) प्रारंभिक शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि	**(3.46)**	**-**
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	170.67	144.32
(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	167.61	147.78
(घ) अंतिम शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि* (क+ख-ग)	**(0.40)**	**(3.46)**

**अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र*

39.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष			31.03.2021 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i)	**किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण**	-	-	-	-	-	-
(ii)	**उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर**						
	स्वास्थ्य / स्वच्छता / अपशिष्ट प्रबंधन / पेयजल	54.75	-	54.75	27.59	-	27.59
	शिक्षा / व्यावसायिक / कौशल विकास	16.17	-	16.17	17.68	-	17.68
	पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	8.06	-	8.06	17.63	-	17.63
	खेल–कूद	15.00	-	15.00	-	-	-
	पीएम केयर फंड में योगदान	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00
	कोविड–19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन का प्रावधान और कोविड–19 टीके के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराना	0.26	-	0.26	7.65	-	7.65
	अन्य	17.90	-	17.90	22.69	-	22.69
	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	5.47	-	5.47	4.54	-	4.54
	जोड़ (ii)	**167.61**	**-**	**167.61**	**147.78**	**-**	**147.78**

कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में, कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹ 200 करोड़ का कुल योगदान किया, जिसमें से ₹ 50 करोड़ का योगदान वर्ष 2021–22 के दौरान और शेष ₹ 50 करोड़ का योगदान वर्ष 2020–21 के दौरान एवं ₹ 100 करोड़ का योगदान वर्ष 2019–20 के दौरान किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

40 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– यात्रा एवं वाहन सुविधा	10.07	8.00
– प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	1.66	7.40
– मरम्मत और अनुरक्षण	21.62	17.40
– किराया, कर एवं ऊर्जा लागतें	7.60	13.23
– बीमा प्रभार	0.09	0.10
– संप्रेषण लागत	2.86	3.31
– प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.79	0.86
– निदेशकों के बैठक शुल्क	0.21	0.10
– लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.53	1.43
– विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	9.29	9.86
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	0.97	4.03
– प्रशिक्षण और सम्मेलन व्यय	7.65	2.97
– सरकारी योजनाओं पर मॉनिटरिंग व्यय	30.94	26.26
– अन्य व्यय	20.78	11.76
जोड़	**116.06**	**106.71**

40.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
–लेखापरीक्षक के रूप में	0.58	0.66
–कराधान मामलों के लिए*	0.15	0.25
–कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.33	0.26
–अन्य सेवाओं के लिए		
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज / सुविधा पत्र का प्रमाणन	0.10	0.10
(ii) प्रमाणन के लिए	0.22	0.04
–व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	-
उप-जोड़	**1.41**	**1.31**
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर–वसूली योग्य कर जमा	0.12	0.12
जोड़- लेखापरीक्षकों के शुल्क एवं व्यय	**1.53**	**1.43**

**पिछले वर्षों से संबंधित कराधान शुल्क ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹0.12 करोड़) शामिल है।*

41 कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
– चालू कर व्यय	3,051.33	2,683.62
– पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय / (लाभ)	(3.96)	223.28
उप-जोड़ - चालू कर	**3,047.37**	**2,906.90**
–आस्थगित कर व्यय / (क्रेडिट)	(668.39)	(512.55)
जोड़	**2,378.98**	**2,394.35**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

41.1 प्रभावी कर दर का पुनर्मिलान

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का पुनर्मिलान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**12,424.90**	**10,756.13**
सांविधिक आयकर दर	**25.168%**	**25.168%**
प्रत्याशित आयकर व्यय	**3,127.10**	**2,707.10**
आयकर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(775.36)	(645.09)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना एवं अन्य समायोजन	42.95	112.70
गैर–कटौती योग्य अन्य कर व्यय	(1.07)	5.52
गैर कर योग्य आय	(6.70)	(9.16)
पूर्व वर्षों का कर व्यय	(3.96)	223.28
विभिन्न दरों पर कर योग्य आय का प्रभाव	(3.98)	-
कर व्यय	**2,378.98**	**2,394.35**

42 अर्जन प्रति शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
न्यूमरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	10,045.92	8,361.78
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	10,045.92	8,361.78
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,97,49,18,000	1,97,49,18,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹10/– प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत प्रचालनों के लिए)	50.87	42.34
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹10/– प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	50.87	42.34

43 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

43.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	0.78	0.24
(ख) कराधान मांग		
(i) – आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	152.77	10.49
(ii) – कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	0.90	0.30
(iii) – जीएसटी के संबंध में की गई मांग	17.89	-
(ग) अन्य		
– सुविधा पत्र	4,068.95	2,608.85

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त ख(i) में उल्लिखित राशि आय कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है।

उपरोक्त ख (ii) में उल्लिखित राशि आईटीएटी चरण पर कंपनी को दी गई राहत के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील के खिलाफ है।

उपरोक्त ख (iii) में उल्लिखित राशि आरईसी द्वारा दायर जीएसटी धन वापसी अपील के खिलाफ है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

43.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	129.13	225.95
– अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	-	0.16
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
– सीएसआर प्रतिबद्धताएं	399.13	259.26

44 वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्यौरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii) लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआइ) कोड	ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374
(iv) पंजीकरण संख्या	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई)	L0012

45 सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

45.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 के दौरान देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर–विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को 31 मार्च, 2019 तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान ₹12,320 करोड़ की कुल बजटीय सहायता सहित ₹16,320 करोड़ था। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 अर्थात 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

45.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना नवंबर 2014 को शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'पावर फॉर ऑल 24x7' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर–कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि तथा गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;

(iii) माइक्रो–ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

इस योजना ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹ 63,027 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹ 75,893 करोड़ के परिव्यय का अनुमान लगाया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त इन्फ्रा को ₹ 7,069 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था, जिसमें ₹ 5302 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल थी। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 अर्थात 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

45.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वित्तीय वर्ष 2012–13 से राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, वितरण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांकों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

45.4 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने डिस्कॉम को परिणाम से संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित क्षेत्र वितरण योजना (आरडीएसएस) अनुमोदित की है ताकि पूर्व–अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति (₹ करोड़ में) को सुदृढ़ किया जा सके। इस स्कीम के लिए 5 वर्षों में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है, जिसमें ₹ 97,631 करोड़ की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है।

स्कीम के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वर्ष 2024–25 तक अखिल भारतीय चरण पर एटी एंड सी हानियों को कम करके 12–15% तक करना।

(ii) वर्ष 2024–25 तक एसीएस–एआरआर अंतर को कम करके शून्य करना।

(iii) वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।

स्कीम के घटक निम्नानुसार हैं:

भाग क – प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

भाग ख – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थकारी और सहायक गतिविधियाँ।

46 पूंजी प्रबंधन

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी तथा दीर्घावधि उधार शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तीय पोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्य बातों के साथ–साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन" के संबंध में दिशा–निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कंपनी का ऋण–इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
निवल ऋण	3,26,717.92	3,21,370.56
निवल मूल्य	50,985.60	43,426.37
ऋण - इक्विटी अनुपात	**6.41**	**7.40**

निवल ऋण, उपलब्ध बकाया मूलधन कम नकद एवं नकदी के समतुल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक मण्डल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथा, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी कारोबार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

47 जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तीय पोषण कंपनी (एनबीएफसी–आईएफसी) होने के नाते आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर–1 पूंजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी बनाए रखना अपेक्षित होता है जिसकी गणना कंपनी की टियर– I और टियर– II पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।

विवरण		न्यूमरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमिनेटर* (₹ करोड़ में)	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	% भिन्नता
(i)	सीआरएआर	57,937.08	2,45,436.54	23.61%	19.72%	19.70%
(ii)	सीआरएआर– टियर I पूंजी	48,052.65	2,45,436.54	19.58%	16.31%	20.04%
(iii)	सीआरएआर– टियर II पूंजी	9,884.43	2,45,436.54	4.03%	3.41%	18.10%

टियर– I पूंजी के मियादी ऋण लिखत की राशि 1.16% है (पिछले वर्ष 1.44%)

* टियर– I और टियर– II पूंजी होने के कारण डिनोमिनेटर में मुख्य रूप से इक्विटी (नोट संख्या 25, 26 और 27 देखें) शामिल हैं और जोखिम भारित संपत्ति होने के कारण मुख्य रूप से ऋण जैसे कंपनी के क्रेडिट एक्सपोजर (ओं) की भारित राशि का प्रतिनिधित्व करता है (टिप्पणी संख्या 10 देखें) और निवेश (टिप्पणी संख्या 11 देखें), इस संबंध में समय–समय पर आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार गणना की जाती है।

वर्ष के दौरान जुटाई टियर–II पूंजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
टियर–II पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	1,999.50
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	-	558.40

48 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक मण्डल के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यढांचे की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा–निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें एंटिटी सामने आती है और एंटिटी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी एवं नकदी समतुल्य, ऋण, परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, सरकारी प्रतिभूति में निवेश, राज्य विकास ऋण, ऋण प्रतिभूतियां और प्रेफरेंस शेयर	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं संपार्श्विक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, अधीनस्थ देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपये (आईएनआर) में न बताई गईं देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर अधीनस्थ देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तद्नुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है जिससे कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./.099/03.10.001/2018–19 के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और जोखिम कम करने की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

48.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में कंपनी की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, कारोबार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

48.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम		
	नकद और नकद समतुल्य	126.40	1,140.49
	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	2,295.30	1,929.06
	ऋण*	3,35,876.99	3,58,891.11
	निवेश**	1,840.09	1,237.84
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,396.94	24,399.21
(ii)	मध्यम ऋण जोखिम		
	ऋण*	36,424.23	2,888.05
(iii)	उच्च ऋण जोखिम		
	ऋण*	17,159.89	18,256.93
	वरीयता शेयर में निवेश***	28.72	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	90.68	88.04

*प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के असंवितरित राशि के साथ) दर्शाता है।

**इसमें एफवीओसीआई/एफवीटीपीएल में किए गए इक्विटी लिखतों निवेशों और उद्यम पूंजी निधियों में निवेश औए अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें इंड–एएस27 के तहत दी गई छूट के अनुरूप लागत पर किया जाता है।

***रतन इंडिया पावर लिमिटेड के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों में निवेश के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन का प्रतिनिधित्व करता है।

नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद एवं नकद समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा–निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

निवेश से संबंधित ऋण जोखिम सरकारी प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉन्ड्स में निवेश के साथ अच्छी वित्तीय स्थिति निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी भी करता है।

ऋणी संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी/समाधान के समय जारी प्रतिभूतियों में निवेश

आरईसी, कंपनी या ऋणदाताओं के कंसोर्टियम, जो भी लागू हो, द्वारा विधिवत अनुमोदित अदायगी/समाधान योजना के एक भाग के रूप में तथा ऋणदाताओं की समिति और सक्षम क्षेत्राधिकार के राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत समाधानों के मामले में, ऋणी संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में भी निवेश करता है। इन प्रतिभूतियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है।

48.1.2 ऋणों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी किसी भी ऋण हानि की उम्मीद के लिए व्यक्तिगत वित्तीय साधनों का आकलन करके ऋण के अलावा अन्य वित्तीय संपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है:

- **नकदी एवं नकदी समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा)** - चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- **सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए** – यह देखते हुए कि निवेश ऋण प्रतिभूतियों सहित सरकारी प्रतिभूतियों/उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) में न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटेड सरकारी कंपनियां है, जहाँ क्रेडिट जोखिम को कम माना जाता है।
- **ऋण निपटान/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए** - ऐसी प्रतिभूतियों की वसूली के आधार पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे निवेशों पर जहां कहीं मध्यम या उच्च जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, उपयुक्त हानि भत्ता प्रदान किया जाता है।
- **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए** - क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन उन पार्टियों की क्रेडिट योग्यता के बारे में कंपनी के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्ता मापा जाता है और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करता है।

ऋण को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि
नकदी एवं नकदी समतुल्य	126.40	-	126.40	1,140.49	-	1,140.49
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,295.30	-	2,295.30	1,929.06	-	1,929.06
निवेश*	1,897.53	28.72	1,868.81	1,237.84	-	1,237.84
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**	24,487.62	90.68	24,396.94	24,487.25	88.04	24,399.21

*क्रेडिट–इंपेयर्ड माने जाने वाले रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश' पर पूरी तरह से हानि भत्ता प्रदान किया गया है।

**हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।

48.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन–देनों पर प्रभाव डाल सकता है।

संकेंद्रण जोखिम: किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, आवधिक आधार पर, ऋण परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें ईसीएल पद्धति के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

(i) कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच/समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय–समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को लीड ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तीय पोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी/गैर–ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख–रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन–रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी/उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी/कैश फ्लो मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

(iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी समिति/ऋण समिति/निदेशक मण्डल के चरण पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर कारोबारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।

(iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।

(vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ–साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा–निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) अलग–अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित कारोबारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।

(viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और/या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई (कार्रवाइयां) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं हैः आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी/प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं/निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोजर की बिक्री आदि।

(ख) ऋण जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, तो जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाती है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार करता हैः

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (15% भार)
ब्याज कवरेज (25% भार)
गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक
तिमाही–वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ
वास्तविक चूक तिथियां
परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण वाले" मॉडल की रूपरेखा दी गई है :

– एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूर्ति नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक "चरण 1" के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।

– यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को "चरण 2" में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूर्ति हुआ नहीं माना जाता है।

– यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूर्ति हुआ है, तो इसे "चरण 3" में ले जाया जाता है।

– चरण 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। चरण 2 या चरण 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ङ) चूक तथा हानि वाले ऋण परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(च) ईसीएल का मापन - इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैंः

– पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।

– ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

– एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि/मैच्योरिटी प्रोफाइल अर्थात लाइफटाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स को एक्स्ट्रापोलेटेड किया गया।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मण्डल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और औद्योगिक बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में परिसंपत्तियों के वसूल किए जाने वाले वास्तविक मूल्य एलजीडी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुमानों,समाधान प्रक्रिया आदि के परिणाम पर मूल्यांकन सहित का उपयोग करके निकाला गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य/केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) चरण 3 परिसंपत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेखण

चरण–3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियां) चरण –3 ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी निम्नलिखत आधार पर लिया जाता है:

(क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, लीड ऋणदाता द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% को अपनाया जाता है।

(ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% में से अधिक को अपनाया जाता है।

(ज) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान

(i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।

(ii) ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

(झ) ऋण जोखिम एक्सपोजर

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम एक्सपोजर निम्न है।

(₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम श्रेणी (आंतरिक/मैप्ड रेटिंग)	31.03.2022 के अनुसार				31.03.2021 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
निष्पादन								
बहुत अच्छा (एएए।एए।ए। सरकारी ऋण)	1,81,968.90	11,661.35	-	1,93,630.25	2,20,485.16	1,421.82	-	2,21,906.98
अच्छा (बीबीबी।बीबी।बी)	96,631.68	24,762.88	-	1,21,394.56	1,07,998.93	69.68	-	1,08,068.61
औसत (सी)	54,755.07	-	-	54,755.07	28,532.47	-	-	28,532.47
स्पष्ट (डी)	2,521.34	-	-	2,521.34	1,874.55	1,396.55	-	3,271.10
गैर-निष्पादित (डी)	**-**	**-**	**17,159.89**	**17,159.89**	**-**	**-**	**18,256.93**	**18,256.93**
सकल एक्सपोजर	**3,35,876.99**	**36,424.23**	**17,159.89**	**3,89,461.11**	**3,58,891.11**	**2,888.05**	**18,256.93**	**3,80,036.09**
हानि भत्ता	2,790.22	369.61	11,565.73	14,725.56	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20
निवल एक्सपोजर	**3,33,086.77**	**36,054.62**	**5,594.16**	**3,74,735.55**	**3,57,608.65**	**2,746.62**	**6,465.62**	**3,66,820.89**

(त्र) संपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए संपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं:

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- उपस्करों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ट) हानि भत्ते

इस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की महत्वपूर्ण वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण चरण–1 और चरण– 2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी "स्टेप अप" (अथवा स्टेप डाउन)।
- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में अमान्य वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।
- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
- उस अवधि के दौरान अस्वीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बट्टे खाते में डालना।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तद्नुरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**3,58,891.11**	**1,282.46**	**2,888.05**	**141.43**	**18,256.93**	**11,791.31**	**3,80,036.09**	**13,215.20**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,031.94	134.62	(1,396.55)	(139.66)	(635.39)	5.03	-	(0.01)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(35,361.06)	(40.15)	35,361.06	40.15	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	(1,516.73)	(214.87)	-	-	1,516.73	214.87	-	-
पीडी/एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	1,235.51	-	293.79	-	1,517.77	-	3,047.07
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूद परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	62,483.86	569.85	3,877.11	40.22	-	-	66,360.97	610.07
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(50,652.13)	(177.20)	(4,305.44)	(6.32)	(54.37)	(39.24)	(55,011.94)	(222.76)
राइट ऑफ	-	-	-	-	(1,924.01)	(1,924.01)	(1,924.01)	(1,924.01)
अंतिम शेष	**3,35,876.99**	**2,790.22**	**36,424.23**	**369.61**	**17,159.89**	**11,565.73**	**3,89,461.11**	**14,725.56**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**2,99,697.53**	**488.46**	**2,431.27**	**963.83**	**21,255.55**	**10,552.13**	**3,23,384.35**	**12,004.42**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,509.24	353.78	(53.05)	(1.82)	(2,456.18)	(351.96)	0.01	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(1,609.07)	(1.90)	1,609.07	1.90	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	-	-	(36.22)	(0.38)	36.22	0.38	-	-
पीडी/एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	123.92	-	178.15	-	2,037.68	-	2,339.75
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	94,564.60	414.89	264.00	0.47	2.00	0.20	94,830.60	415.56
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(36,271.19)	(96.69)	(421.58)	(95.28)	(333.56)	(200.02)	(37,026.33)	(391.99)
राइट ऑफ	-	-	(905.44)	(905.44)	(247.10)	(247.10)	(1,152.54)	(1,152.54)
अंतिम शेष	**3,58,891.11**	**1,282.46**	**2,888.05**	**141.43**	**18,256.93**	**11,791.31**	**3,80,036.09**	**13,215.20**

(ठ) चरण वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार				31-03-2021 के अनुसार			
	चरण I	चरण II	चरण III	कुल	चरण I	चरण II	चरण III	कुल
कुल एक्सपोजर	**3,35,876.99**	**36,424.23**	**17,159.89**	**3,89,461.11**	**3,58,891.11**	**2,888.05**	**18,256.93**	**3,80,036.09**
हानि भत्ता	2,790.22	369.61	11,565.73	14,725.56	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20
ईसीएल%	0.83%	1.01%	67.40%	3.78%	0.36%	4.90%	64.59%	3.48%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ड) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	1,55,202.14	12,298.95	1,56,901.95	12,035.54
नवीकरणीय ऊर्जा	13,449.27	225.20	17,388.24	117.88
ट्रांस्कोज	64,879.92	774.38	61,309.37	502.51
डिस्कॉम्स	1,52,115.74	1,411.67	1,39,833.76	557.90
सरकारी ऋण	3,814.04	15.36	4,602.77	1.37
कुल	**3,89,461.11**	**14,725.56**	**3,80,036.09**	**13,215.20**
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	3,50,584.17	2,684.59	3,38,973.84	938.40
निजी	38,876.94	12,040.97	41,062.25	12,276.80
कुल	**3,89,461.11**	**14,725.56**	**3,80,036.09**	**13,215.20**

(ढ) क्षेत्रवार हानिग्रस्त परिसंपत्तियां - उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III परिसंपत्तियों का प्रतिशत

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	4.45%	4.84%

(ण) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	4.45%	4.84%
(ii)	**सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	1.45%	1.71%
(iii)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	1.51%	1.78%
(iv)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)**		
(क)	प्रारम्भिक शेष	18,256.93	21,255.55
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	1,516.73	38.22
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(689.76)	(2789.74)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट– ऑफ	(1924.01)	(247.10)
(च)	**अंतिम शेष**	**17,159.89**	**18,256.93**
(v)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)**		
(क)	प्रारम्भिक शेष	6,465.62	10,703.42
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	(215.91)	34.59
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(655.55)	(4,272.39)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट ऑफ	-	-
(च)	**अंतिम शेष**	**5,594.16**	**6,465.62**
(vi)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	11,791.31	10,552.13
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,732.64	2,038.26
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ	(34.21)	(551.98)
(घ)	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों पर प्रावधान	(1924.01)	(247.10)
(च)	**अंतिम शेष**	**11,565.73**	**11,791.31**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(त) दिनांक 13.03.2020 को एनबीएफसी द्वारा इंड–एएस के कार्यान्वयन पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार ऋण को अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक माना जाता है, 31 मार्च 2022 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 4.45% (पिछले वर्ष 5.04%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 1.51% (पिछले वर्ष 1.99%) रहा था।

(थ) राइट ऑफ नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपार्श्विक पर पहले ही बंद हो तथा समपार्श्विक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(द) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने कारोबार मॉडल को उस चरण पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने कारोबारिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के कारोबार मॉडल का मूल्यांकन लिखत–दर–लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि सकल पोर्टफोलियो के उच्च चरण पर किया जाता है।

कंपनी बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का कारोबार मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए "इकट्ठा करने के लिए एकत्र" के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ध) 90 दिनों से अधिक की अतिदेय राशि वाले कोई भी खाते नहीं हैं, उन्हें क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है (उन खातों को छोड़कर जिन्हें आरबीआई कोविड–19 राहत पैकेज के तहत जारी करने की अनुमति दी गई है) (पिछले वर्ष शून्य)

(न) वित्तीय वर्ष 2021–22 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान मास्टर निदेश – भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 के तहत हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों के कोई रिपोर्ट योग्य मामले नहीं हैं।

(प) आरबीआई आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों (आईआरएसीपी) और एंड–एएस के अनुसार इंपेयरमेंट भत्ता के अनुसार आवश्यक प्रावधान के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	3,31,787.14	3,32,586.36	2,769.32	3,29,817.04	1,771.72	997.60
	चरण 2	36,424.23	36,888.95	369.61	36,519.34	391.52	(21.91)
उप-जोड़ (1)		**3,68,211.37**	**3,69,475.31**	**3,138.93**	**3,66,336.38**	**2,163.24**	**975.69**
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 3	1,512.49	1,512.49	437.16	1,075.33	190.83	246.33
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 3	33.28	33.28	3.33	29.95	7.25	(3.92)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	4,534.01	4,534.01	2,981.99	1,552.01	1,952.89	1029.10
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	11,062.89	11,062.89	8,126.03	2,936.86	8,108.58	17.45
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप-जोड़		**15,630.18**	**15,630.18**	**11,111.35**	**4,518.82**	**10,068.72**	**1042.63**
हानि परिसंपत्तियां	चरण 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उप-जोड़ (2)		**17,159.89**	**17,159.89**	**11,565.73**	**5,594.15**	**10,276.77**	**1,288.96**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**3,85,371.26**	**3,86,635.20**	**14,704.66**	**3,71,930.53**	**12,440.01**	**2264.65**
अन्य मदें जो इंड-एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं							
–सुविधा पत्र*	चरण 1	4,089.85	4,089.85	20.90	4,068.95	-	20.90
उप-जोड़ (3)		**4,089.85**	**4,089.85**	**20.90**	**4,068.95**	**-**	**20.90**
जोड़	**चरण 1**	**3,35,876.99**	**3,36,676.21**	**2,790.22**	**3,33,885.99**	**1,771.72**	**1018.50**
	चरण 2	**36,424.23**	**36,888.95**	**369.61**	**36,519.34**	**391.52**	**(21.91)**
	चरण 3	**17,159.89**	**17,159.89**	**11,565.73**	**5,594.15**	**10,276.77**	**1,288.96**
	जोड़	**3,89,461.11**	**3,90,725.05**	**14,725.56**	**3,75,999.48**	**12,440.01**	**2285.55**

*इंड–एएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर–निधि आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड एएस 109 के अनुसार वर्गी कृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	3,56,273.17	3,57,285.43	1,273.37	3,56,012.06	2,304.84	(1031.47)
	चरण 2	2,888.05	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	(4.19)
उप-जोड़ (1)		**3,59,161.22**	**3,60,210.67**	**1,414.80**	**3,58,795.87**	**2,450.46**	**(1035.66)**
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 3	36.31	36.31	3.63	32.68	3.63	-
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 3	560.99	560.99	303.81	257.18	301.24	2.57
1 से 3 वर्ष	चरण 3	13,786.04	13,786.04	8,514.57	5,271.46	6,913.49	1601.08
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	3,856.37	3,856.37	2,952.08	904.29	2,665.23	286.85
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप-जोड़		**18,203.40**	**18,203.40**	**11,770.46**	**6,432.93**	**9,879.96**	**1890.50**
हानि परिसंपत्तियां	चरण 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		**18,256.93**	**18,256.93**	**11,791.31**	**6,465.61**	**9,900.81**	**1,890.50**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**3,77,418.15**	**3,78,467.60**	**13,206.11**	**3,65,261.48**	**12,351.27**	**854.84**
अन्य मदें जो इंड-एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं							
–सुविधा पत्र*	चरण 1	2,617.94	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
उप-जोड़ (3)		**2,617.94**	**2,617.94**	**9.09**	**2,608.85**	**-**	**9.09**
जोड़	**चरण 1**	**3,58,891.11**	**3,59,903.37**	**1,282.46**	**3,58,620.91**	**2,304.84**	**(1022.38)**
	चरण 2	**2,888.05**	**2,925.24**	**141.43**	**2,783.81**	**145.62**	**(4.19)**
	चरण 3	**18,256.93**	**18,256.93**	**11,791.31**	**6,465.61**	**9,900.81**	**1,890.50**
	जोड़	**3,80,036.09**	**3,81,085.54**	**13,215.20**	**3,67,870.33**	**12,351.27**	**863.93**

*इंडएएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर–निधि आधारित एक्सपोजर को दर्शाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लेखा संबंधी टिप्पणियां

48.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। तरलता का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त तरलता हो।

जारी

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पकालिक निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरन्तर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की निगरानी करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में परिवर्तनीय हैं।

48.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

नकदी वित्तीय देनदारियों की मदों का नकदी प्रवाह (भविष्य की अघोषित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	-	-	5,878.20	2,970.00	14,058.86	53,719.87	39,133.38	67,531.66	1,83,291.97
– ब्याज	-	379.26	348.22	1,085.23	2,345.40	2,433.79	6,290.73	21,667.98	14,748.20	22,337.48	71,636.29
अन्य उधारियां											
– मूलधन	-	-	160.93	1,150.00	1,000.00	1,824.29	5,163.63	17,836.77	15,155.51	18,798.15	61,089.28
– ब्याज	272.39	-	63.24	202.90	496.89	671.39	1,604.83	4,949.21	3,439.46	3,027.89	14,728.20
अधीनस्थ देयताएं											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	4,150.70	6,650.70
– ब्याज	-	-	-	201.50	114.94	-	163.60	759.35	557.08	787.73	2,584.20
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	17,814.67	6,822.64	5,685.54	30,322.85
– ब्याज	-	-	-	227.28	66.15	285.65	584.79	1,691.31	769.79	171.02	3,795.99
अन्य उधारिया											
– मूलधन	-	-	-	2,744.22	2,887.33	2,664.98	4,506.16	8,555.57	21,129.28	3,001.98	45,489.52
– ब्याज	8.00	7.18	22.42	67.65	124.53	263.85	447.00	1,388.28	812.26	516.82	3,657.99
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	0.07	-	18.82	-	42.62	-	112.01	173.52
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	13.87	-	34.50	48.37
अन्य –											
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	22.50	-	308.74	331.24
सीगल ऑप्शन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रुपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	1,055.00	600.00	3,520.00	6,486.80	25,852.18	46,211.21	44,523.75	75,870.73	2,04,119.67
–ब्याज	-	379.26	429.06	1,313.74	1,981.43	3,293.77	7,841.36	22,724.28	16,731.83	27,645.59	82,340.32
अन्य उधारियां											
– मूलधन	-	350.00	2,400.00	7,099.52	4,137.00	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.90	10,000.00	58,925.15
–ब्याज	208.60	4.26	85.39	199.76	458.88	565.70	1,388.04	4,370.69	2,293.36	2,653.21	12,227.90
अधीनस्थ देयताएं											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	4,150.70	6,650.70
–ब्याज	-	-	-	201.50	162.21	-	192.96	1,107.77	704.25	1,375.22	3,743.91
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	8,820.56	12,128.28	5,512.87	26,461.71
–ब्याज	-	-	-	220.52	64.14	194.94	485.15	1,841.77	670.06	395.99	3,872.57
अन्य उधारियां											
–मूलधन	-	-	551.29	551.29	45.31	12.51	6,797.99	8,043.62	4,575.17	5,776.64	26,353.82
–ब्याज	8.81	1.21	7.27	68.26	60.15	130.44	246.98	841.03	615.06	800.45	2,779.66
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-	29.88	343.06	30.71	-	403.65
अन्य –	-	-	-	-	-	-	-	-	16.48	104.60	121.08
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप											
सीगल ऑप्शन	-	-	-	-	-	-	-	-	19.67	258.66	278.33
	-	-	24.92	18.33	-	-	-	-	-	-	43.25

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न उपस्कर के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तीय पोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटहीन नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2022 के अनुसार											
–मूलधन	158.66	-	2,077.03	2,142.80	4,800.08	8,892.93	19,691.55	74,970.39	74,346.88	1,83,586.28	3,70,666.60
–ब्याज	611.62	-	892.06	1,559.14	6,094.78	9,076.43	17,252.35	59,983.17	44,663.39	71,842.69	2,11,975.63
31 मार्च 2021 के अनुसार											
–मूलधन	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	8,947.33	17,793.88	72,044.11	67,832.43	1,88,262.69	3,64,212.04
–ब्याज	117.12	4.00	880.36	1,331.57	5,715.61	9,108.12	17,306.39	60,195.92	45,576.96	77,702.45	2,17,938.50

लेखा संबंधी टिप्पणियां

चरण III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

48.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	158.66	-	2,077.03	2,142.80	6,181.63	8,892.93	19,691.55	74,970.39	74,346.88	1,83,468.67	**3,71,930.54**
निवेश	-	-	-	-	2.81	2.82	55.65	80.05	180.59	1,836.05	**2,157.97**
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	19.34	367.83	330.52	993.71	7,777.02	4,636.58	15,212.32	53,696.32	39,118.89	67,453.88	**1,89,606.42**
अन्य उधारियां	6.56	-	200.55	1,150.00	1,000.00	2,149.40	5,165.59	17,836.77	15,155.52	18,796.19	**61,460.59**
अधीनस्थ देयताएं	-	-	-	168.38	126.46	-	2.11	2,499.73	-	4,019.79	**6,816.47**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	172.81	40.17	89.14	-	17,755.78	6,805.78	5,163.48	**30,027.15**
अन्य उधारियां	5.62	2.42	4.43	2,747.65	2,910.57	2,680.96	4,506.16	8,499.93	20,837.27	2,995.98	**45,191.00**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां			-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)			-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	9,451.43	17,793.88	72,044.11	67,832.43	1,88,808.04	**3,65,261.49**
निवेश	-	-	-	-	-	-	37.28	100.64	136.13	1,635.73	**1,909.77**
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां		367.83	1,462.17	1,143.76	5,127.49	8,436.25	28,244.43	46,217.54	44,490.29	75,777.90	**2,11,267.66**
अन्य उधारियां		350.00	2,431.14	7,099.52	4,462.12	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.91	9,999.99	**59,281.41**
अधीनस्थ देयताएं		-	-	168.38	129.51	-	1.60	2,499.52	-	4,147.88	**6,946.89**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	62.02	213.39	8,768.94	12,094.51	4,921.54	**26,060.40**
अन्य उधारियां	6.59	-	551.29	557.44	68.01	12.51	6,785.72	7,968.17	4,505.29	5,770.93	**26,225.95**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां			-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)			-	-	-	-	-	-	-	-	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

48.2.3 वित्तीय पोषण आयोजन

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित ऋण सुविधाओं तक अभिगम थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
एक वर्ष के भीतर समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)		
– स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	8,803.05	5,547.28
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उधार)		
– स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	1,245.90	-

48.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (''एएलसीओ'') भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है जो नकदी में आसानी से परिवर्तनीय और पर्याप्त उधार योजनाएं हैं।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण (उधारियां)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	15	20
राशि (₹ करोड़ में)	1,55,352.32	1,82,250.87
कुल देयताओं का %	43.22%	51.08%

(iii) शीर्ष 10 उधारियां

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	12,729.30	3.89%	10,839.90	3.36%
2	एचडीएफसी बैंक से आवधिक ऋण	12,000.00	3.67%	4,650.00	1.44%
3	भारत सरकार – नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	3.06%	10,000.00	3.10%
4	विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस $1175 मिलियन बॉण्ड	8,907.33	2.73%	-	-
5	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से आवधिक ऋण	6,800.00	2.08%	5,800.00	1.80%
6	54 ईसी – श्रृंखला XII (2018–19)	6,651.77	2.04%	6,651.77	2.06%
7	54 ईसी – श्रृंखला XIII (2019–20)	6,157.72	1.88%	6,157.72	1.91%
8	54 ईसी – श्रृंखला XV (2021–22)	6,024.57	1.84%	-	-
9	टैक्स फ्री बॉण्ड (2013–14 श्रृंखला)	6,000.00	1.84%	-	-
10	54 ईसी – श्रृंखला XIV (2020–21)	5,312.07	1.63%	-	-
11	विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस $700 मिलियन बॉण्ड	-	-	5,145.33	1.60%
12	संस्थागत बॉण्ड – 182वीं श्रृंखला	-	-	5,063.00	1.57%
13	संस्थागत बॉण्ड – 203वीं ए श्रृंखला	-	-	5,000.00	1.55%
14	विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस $650 मिलियन बॉण्ड	-	-	4,777.81	1.48%
	जोड़	**80,582.76**	**24.65%**	**64,085.53**	**19.87%**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) महत्वपूर्ण लिखित/ उत्पादों के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण

	महत्वपूर्ण लिखित/ उत्पादों के नाम *	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1	**ऋण प्रतिभूतियां**				
	संस्थागत बॉण्ड	1,46,041.60	40.63%	1,73,338.60	48.58%
	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	30,322.85	8.44%	26,461.71	7.42%
	54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एक्जंप्शन बॉण्ड	25,437.67	7.08%	18,121.59	5.08%
	टैक्स फ्री बॉण्ड	11,808.74	3.29%	12,648.41	3.54%
	उप- जोड़ (1)	**2,13,610.86**	**59.43%**	**2,30,570.31**	**64.62%**
2	**उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)**				
	बैंकों से आवधिक ऋण	42,878.32	11.93%	29,938.58	8.39%
	विदेशी मुद्रा उधारियाँ	35,634.60	9.91%	21,024.72	5.89%
	भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	2.78%	10,000.00	2.80%
	एफसीएनआर (ख) ऋण	9,854.92	2.74%	5,329.10	1.49%
	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	6,800.00	1.89%	5,800.00	1.63%
	बैंकों से मांग पर चुकाने योग्य ऋण	1,410.93	0.39%	10,186.52	2.85%
	उप- जोड़ (2)	**1,06,578.77**	**29.65%**	**82,278.92**	**23.06%**
3	**अधीनस्थ देयताएं**	**6,650.70**	**1.85%**	**6,650.70**	**1.86%**
	जोड़ (1+2+3)	**3,26,840.33**	**90.93%**	**3,19,499.93**	**89.54%**

**महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को कंपनी की कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष /एकल लिखत/उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।*

(iv) स्टॉक अनुपात

विवरण	31.03.2022 के अनुसार				31.03.2021 के अनुसार			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताएं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताएं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	12,852.04	3.93%	3.58%	3.13%	20,511.10	6.36%	5.75%	5.12%

(v) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के तरलता ढांचे द्वारा 01 दिसंबर, 2020 से ₹ 10,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली जमा न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखे जाना निर्धारित किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली परिसमाप्त परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जिसे काफी गंभीर तरलता दबाव के परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के क्षितिज के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है:

उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियों का स्टॉक

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह,

जहां,

(i) कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।

(ii) उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का अर्थ ऐसी तरलता परिसंपत्तियां हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा तत्काल बहुत कम अथवा बिना हानि के मूल्य पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा दबाव परिदृश्यों की एक श्रृंखला में धनराशि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी है, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होना चाहिए, जो 1 दिसंबर, 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक चरण तक पहुंच जाना चाहिए।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक)/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और एएए/एए कॉरपोरेट बॉन्ड और बैंकों के साथ ऑटो स्वैप बैलेंस के रूप में भारतीय रुपये में किए जाते हैं।

एचक्यूएलए का गठन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, सरकारी प्रतिभूतियां एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है जिसके बाद एएए/एए कॉरपोरेट बॉण्ड और ऑटो स्वैप बैलेंस आते हैं। 31 मार्च, 2022 को एचक्यूएलए धारण की स्थिति निम्नलिखित है:

एचक्यूएलए मदें	समग्र का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	**89%**
– नकदी एवं नकदी समतुल्य	12%
– जी–सेक और एसडीएल	77%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	**11%**
– कॉरपोरेट बॉण्ड	11%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	-
जोड़	**100%**

तरलता कवरेज अनुपात प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त तिमाही		31.03.2021 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियां				
कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	1,719.78	1,686.09	2,151.50	2,120.54
– एए/एएए कॉर्पोरेट बॉण्ड	224.56	190.87	206.39	175.43
– जी–सेक बॉण्ड/राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	1,296.73	1,296.73	483.29	483.29
– बैंक ऑटोस्वैप	198.49	198.49	1,461.82	1,461.82
नकदी बहिर्प्रवाह				
अन्य संविदात्मक वित्तीय पोषण दायित्व	8,279.00	9,520.85	11,720.66	13,478.76
अन्य आकस्मिक वित्तीय पोषण दायित्व	848.00	975.20	2,193.98	2,523.08
कुल नकदी बहिर्प्रवाह	**9,127.00**	**10,496.05**	**13,914.64**	**16,001.84**
नकदी अंतर्प्रवाह				
प्रतिभूति उधार	-	-	-	-
पूरी तरह से निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	6,414.00	4,810.50	7,480.10	5,610.08
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	10,223.00	7,667.25	11,807.52	8,855.64
कुल नकद अंतर्प्रवाह (प्रत्येक अवलोकन दिवस पर बहिर्प्रवाह के 75% तक सीमित)	**16,637.00**	**7,872.04**	**19,287.63**	**11,760.86**
कुल समायोजित मूल्य				
कुल एचक्यूएलए (ए)		**1,686.09**		**2,120.54**
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह (बी)		**2,624.01**		**4,240.98**
तरलता कवरेज अनुपात (ए/बी)		**64.26%**		**50.00%**
% विभिन्नता		**28.51%**		

**औसत के लिए, वित्तीय वर्ष 2021–22 की तिमाही–4 के दौरान दैनिक अवलोकन पर विचार किया गया है।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

48.3 बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो, जेपीवाई और एसजीडी में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकांश ऋणों पर एलआईबीओआर, एसओआर आदि से जुड़ी ब्याज दर लागू होती है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्तीय एवं प्रचालन प्रभागों के निदेशक, कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन–देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन–देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि कारोबार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा क्रॉस करेंसी स्वैप (मूलधन और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा स्थिति की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपये ₹ करोड़ के समतुल्य)

मुद्रा	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर
अमेरिकी डॉलर $	9,436.00	7,620.00	1,816.00	6,893.85	3,500.00	3,393.85
भारतीय रुपये के समतुल्य	*71,531.58*	*57,765.01*	*13,766.57*	*50,673.04*	*25,726.65*	*24,946.39*
जापानी येन ¥	58,729.87	20,846.05	37,883.82	21,600.36	20,845.99	754.37
भारतीय रुपये के समतुल्य	*3,654.76*	*1,297.25*	*2,357.51*	*1,433.40*	*1,383.34*	*50.06*
यूरो €	26.32	0.87	25.45	36.85	11.40	25.45
भारतीय रुपये के समतुल्य	*222.82*	*7.37*	*215.45*	*317.30*	*98.12*	*219.18*
सिंगापुर डॉलर$	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपये के समतुल्य	*403.21*	*403.21*	-	*391.79*	*391.79*	-
जोड़	**75,812.37**	**59,472.84**	**16,339.53**	**52,815.53**	**27,599.90**	**25,215.63**

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन–हेज्ड प्रकटन पर भारतीय रुपये के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि)) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये	515.09	(515.09)	933.39	(933.39)
जापानी येन/भारतीय रुपये	88.21	(88.21)	1.87	(1.87)
यूरो/भारतीय रुपये	8.06	(8.06)	8.20	(8.20)

अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

48.4 बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएए बॉण्ड/जी–सेक पैदावार/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी के कुछ उधार ब्याज दर जोखिम के संपर्क में हैं, जिसमें फ्लोटिंग ब्याज दरें यूएसडी एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट), एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग) रेट), टी–बिल, रेपो रेट आदि से जुड़ी हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, वायदा ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस–करेंसी ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 को फ्लोटिंग ब्याज दरों से जुड़ी देनदारियों के लिए कंपनी के समग्र जोखिम को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशियां मिलियन में, भारतीय रुपये ₹ करोड़ के समतुल्य)

मुद्रा	31.03.2022 के अनुसार			31.03.2021 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर
भारतीय रुपये उधारियां	50,178.32	-	50,178.32	35,738.58	-	35,738.58
अमेरिकी डॉलर $	4,636.00	1,325.00	3,311.00	2,768.85	1,630.00	1,138.85
भारतीय रुपये के समतुल्य	*35,144.17*	*10,044.44*	*25,099.73*	*20,352.38*	*11,981.27*	*8,371.11*
जापानी येन ¥	58,352.72	10,327.16	48,025.56	20,846.14	10,327.14	10,519.00
भारतीय रुपये के समतुल्य	*3,631.29*	*642.66*	*2,988.63*	*1,383.35*	*685.31*	*698.04*
सिंगापुर डॉलर $	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपये के समतुल्य	*403.21*	*403.21*	-	*391.79*	*391.79*	-
कुल भारतीय रुपये के समतुल्य	**89,356.99**	**11,090.31**	**78,266.68**	**57,866.10**	**13,058.37**	**44,807.73**

ब्याज दर संवेदनशीलता बेमेल को कम करने के लिए कंपनी ब्याज दर उधार पर उचित मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है। इस तरह के स्वैप के माध्यम से, 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) की स्थिति के अनुसार ₹11,850.70 करोड़ की निश्चित दर उधार को एमआईबीओआर से जुड़े रातों–रात अनुक्रमित स्वैप के उपयोग के माध्यम से फ्लोटिंग दर उधार में परिवर्तित कर दिया गया है।

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध–स्थिर दर अर्थात ऋणकर्ता के साथ 1/3/10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय–समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरियों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री–पेमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री–पेमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध–निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
रुपे ऋण	3,75,805.76	3,63,580.03

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन–हेज्ड स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि (लाभ/(हानि) पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(292.84)	292.84	(167.65)	167.65
ब्याज दर स्वैप	(44.34)	44.34	-	-
अस्थिर/अर्ध–निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,406.11	(1406.11)	1,360.37	(1360.37)

**अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

48.4.1 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास अलग–अलग निर्धारणों से जुड़ी ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए इस तरह के ब्याज दर निर्धारणों में 1/3/6 माह यूएसडी एलआईबीओआर (लंदन इंटर–बैंक ऑफर दर) और रातों– रात एसओएफआर (प्रतिभूति ओवरनाइट का वित्तीय पोषण दर), टीओएनए (टोक्यो का ओवरनाइट औसत दर), एसओआरए (सिंगापुर का ओवरनाइट दर औसत) आदि शामिल हैं। ऐसे उधारों का सारांश नीचे दिया गया है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

बेंचमार्क	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमेरिकी डॉलर मिलियन के समतुल्य)
3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	7,201.67	950.00
6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	27,373.94	3,611.00
ओ/एन एसओएफआर	568.55	75.00
टीओएनए	3,631.29	479.02
एसओआरए	403.21	53.19
कुल	**39,178.67**	**5,168.21**

यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च, 2021 की घोषणा के अनुसार, जेपीवाई एलआईबीओआर 31 दिसंबर, 2021 के बाद प्रकाशित होना बंद हो गई और 1 माह, 3 माह और 6 माह अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर 30 जून, 2023 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगा।

(i) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्षत प्रभावित एक्सपोजर

जबकि कंपनी की कुछ फ्लोटिंग रेट उधारियां पहले से ही नए बेंचमार्क के अधीन हैं, कुछ उधारियों को संबंधित ब्याज दरों अर्थात् 3–माह यूएसडी लिबोर और 6–माह यूएसडी लिबोर की समाप्ति तिथि से पहले चुका दिया जाएगा। तद्नुसार, 31 मार्च, 2022 को ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्षतः प्रभावित एक्सपोजर की कुल राशि ₹25,963.93 करोड़ (3.425 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। इसमें से, ऐसी देनदारियों से संबद्ध और हेज अकाउंटिंग के तहत लेखांकित डेरिवेटिव एक्सपोजर की नोमिनल राशि ₹3,790.36 करोड़ (यूएसडी 0.500 बिलियन) है।

(ii) वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के अनुसरण में, लिबोर को वैकल्पिक जोखिम–रहितक दरों (आरएफआर) से प्रतिस्थापित दिया जाएगा। एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) को यूएसडी लिबोर के लिए प्रतिस्थापित किया होगा, जबकि टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), जेपीवाई लिबोर को प्रतिस्थापित करेगा। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), जो वैश्विक डेरिवेटिव सौदों को अभिशासित करने वाला वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त वैधानिक निकाय है, सभी लीगेसी संविदाओं को नए बेंचमार्क में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (आमतौर पर फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) लाया है। कंपनी ने फॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया है जिसके तहत सभी प्रतिपक्षों के साथ मौजूदा डेरिवेटिव कारोबारियों पर विभिन्न लिबोर बेंचमार्क के लिए फॉलबैक स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा।

सावधि ऋणों के संबंध में, आरईसी प्रारंभिक चरण में परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऋणदाताओं के साथ सक्रिय संपर्क में रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने जेपीवाई 20,846.12 बिलियन (31 मार्च, 2022 ₹ 1,297.25 करोड़ के समतुल्य) की राशि के दो जेपीवाई ऋणों के लिए परिवर्तन प्रलेखन पूरा कर लिया है, जिसका बेंचमार्क जेपीवाई लिबोर से परिवर्तित कर टीओएनए किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान एक एसजीडी ऋण के लिए एसजीडी 72.08 मिलियन (31 मार्च, 2022 को ₹ 403.21 करोड़ के समतुल्य) की राशि के लिए एक सक्रिय परिवर्तन भी संपन्न हुआ है, बेंचमार्क को 6–माह एसओआर (सिंगापुर स्वैप ऑफर रेट) से एसओआरए (सिंगापुर का ओवरनाइट रेट एवरेज) में परिवर्तित कर दिया गया है। जहां इन ऋणों के लिए ब्याज दर जोखिम को रोका (हेज) गया था, ऐसे डेरिवेटिव में ब्याज दर बेंचमार्क को उपयुक्त रूप से नए बेंचमार्क में परिवर्तित कर दिया गया है।

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान

इंड एएस 109 में ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रत्यक्षतः प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के लिए अस्थायी अपवाद का प्रावधान है। जबकि अंतर्निहित ऋण के लिए बेंचमार्क पर अभी तक ऋणदाताओं के साथ सहमति नहीं बनी है, यह कल्पना की गई है कि अंतर्निहित ऋण की वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप के रूप में डेरिवेटिव संविदा और हेज प्रभावशीलता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

48.5 हेज एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज आइटम के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए आइटम और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है:

(i) क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप, जो हेज की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाता है, के लिए आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों से मेल वाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

(ii) अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से पदनामित किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्पनिक व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।

(iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज किए गए आइटम के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखत के अन्तर्निहित जोखिम और आकस्मिक मात्रा समान है।

हेज लेखांकन का प्रभाव

(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार		कल्पित मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों के धारित राशि		पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
जोखिम एवं हेज के प्रकार			परिसंपत्तियां	देयताएं					
	नकदी प्रवाह हेज								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं								
	– सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 7,045	4,744.05	-	मई 2022 - जनवरी 2027	1:1	74.31	(399.81)	399.81
		यूएसडी 20,846.12	102.15	-	अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66	(96.08)	96.08
		एसजीडी 72.08	22.08	-	मार्च 2025	1:1	0.01	(1.77)	1.77
	– कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	76.73	-	मार्च 2024	1:1	57.52	(74.08)	74.08
(ii)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 1,300	22.69	43.78	मई 2022 - मार्च 2025	1:1	2.99% और 72.94	112.67	(112.67)
		जापानी येन 10,327.12	-	1.50	अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	0.82	(0.82)
		एसजीडी 72.08	23.86	-	मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
(iii)	केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 375	-	48.37	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(49.08)	49.08
(iv)	ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 425	92.42	-	मार्च 2024 - अक्टूबर 2026	1:1	2.23%	130.27	(130.27)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार		कल्पित मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों के धारित राशि		पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
जोखिम एवं हेज के प्रकार			परिसंपत्तियां	देयताएं					
	नकदी प्रवाह हेज								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं								
	– सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 2,595	1,458.96	43.25	अप्रैल 2021 - अक्टूबर 2025	1:1	73.32	(611.68)	611.68
		जापानी येन 20,846.12	198.23	-	अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66	(131.87)	131.87
	– कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	77.74	-	मार्च 2024	1:1	71.94	(93.51)	93.51
(ii)	क्रॉस मुद्रा स्वैप	यूएसडी 1,350	-	244.37	दिसंबर 2021 - मार्च 2025	1:1	2.92% और 72.93	(73.78)	73.78
		जापानी येन 10,327.12	-	4.06	अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	(0.08)	0.08
		एसजीडी 72.08	23.86	-	मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
(iii)	केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 375	-	121.08	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(174.62)	174.62
(iv)	ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 260	-	69.74	मार्च 2024 - जुलाई 2024	1:1	2.32%	(1.12)	1.12

(ख) लाभ एवं हानि के विवरण पर हेज लेखांकन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
31.03.2022 को समाप्त वर्ष				
– मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	(377.06)	-	(995.95)	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन पर लाभ/हानि
			126.43	वित्तीय लागत
31.03.2021 को समाप्त वर्ष				
– मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	(1,065.12)	-	580.30	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन पर लाभ/हानि
			179.56	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग और हेजिंग रिजर्व की लागत में संतुलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	**(165.61)**	**(226.08)**
जोड़ें : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के आंतरिक मूल्यों में परिवर्तन	1108.37	(625.61)
जोड़ें : क्रॉस मुद्रा स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	111.72	(52.32)
जोड़ें : ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	130.27	(1.12)
घटाएं : पुनः वर्गीकृत राशि के लाभ या हानि	(869.52)	759.86
घटाएं: उपरोक्त (निवल) से संबंधित आस्थगित कर	(121.02)	(20.34)
अंतिम शेष	**194.21**	**(165.61)**
हेजिंग रिजर्व की लागत		
प्रारम्भिक शेष	**41.45**	**(204.75)**
जोड़ें : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(1727.42)	(386.06)
घटाएँ: समय मूल्य का परिशोधन	1142.91	715.06
घटाएँ: उपरोक्त (निवल) से संबंधित आस्थगित कर	147.11	(82.80)
अंतिम शेष	**(395.95)**	**41.45**

(घ) उचित मूल्य हेज

31 मार्च 2022 को, कंपनी के पास ₹ 11,850.70 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के बकाया ब्याज दर स्वैप करार हैं, जिसमें कंपनी ब्याज की एक नियत दर प्राप्त करती है और कल्पित राशि पर एक परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान करती है। ऐसे करारों का उपयोग नियत दर वाली उधारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए किया जा रहा है।

हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है क्योंकि ब्याज दर स्वैप की शर्तें, नियत दर ऋण (अर्थात, कल्पित राशि, परिपक्वता, भुगतान और पुनर्निर्धारण तिथियां) की शर्तों से मेल खाती हैं। इस प्रकार, हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया गया है क्योंकि ब्याज दर स्वैप का अंतर्निहित जोखिम, हेज जोखिम घटक के समान है।

31 मार्च 2022 को तुलन पत्र पर हेजिंग लिखतों का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य हेज	कल्पित राशि	धारित राशि*	तुलन पत्र में लाइन मदें जहां हेजिंग लिखतों का अनावृत	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
– ब्याज दर स्वैप	11,850.70	(111.92)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	(111.92)

*यहां वहन राशि रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऐसे व्युत्पन्न अनुबंध के तहत प्राप्य ब्याज को छोड़कर है।

31 मार्च 2022 को तुलन पत्र पर हेजिंग मदों का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य हेज	धारित राशि	संचयी उचित मूल्य समायोजन	तुलन पत्र में लाइन मदें जहां हेजिंग लिखतों का अनावृत	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
– अधीनस्थ देयताएं	4,148.36	(128.33)	अधीनस्थ देयताएं	(128.33)
– संस्थागत बॉण्ड	7,881.97	16.41	ऋण प्रतिभूतियां– संस्थागत बॉण्ड	16.41

₹111.92 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में हानि को संबंधित अधीनस्थ देनदारियों और ऋण प्रतिभूतियों पर समान लाभ के साथ ऑफसेट किया गया है।

48.6 बाजार जोखिम - कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों के निवेशों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इक्विटी निवेश कारोबारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	13.41	(13.41)	21.51	(21.51)
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभाव (पीएल)	2.48	(2.48)	1.18	(1.18)

49 व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

49.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	33,239.41	25,035.68
(ii)	हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	563.77	339.60
(iii)	स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	नीचे दी गई टिप्पणी का संदर्भ लें	नीचे दी गई टिप्पणी का संदर्भ लें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	390.25	(64.05)

आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार श्रेणी–1, केवल प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

49.2 कंपनी किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों को शामिल नहीं किया है।

49.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
		31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	हेजिंग के लिए व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
	हेजिंग के लिए	59,472.85	27,599.89	33,239.41	25,035.68	4,747.00	4,547.00
(ii)	मार्केट टु मार्केट स्थितियां						
क)	परिसंपत्ति (+)	4,946.40	1,971.62	563.77	339.60	-	-
ख)	देयता (–)	48.37	164.33	173.52	403.65	331.25	278.33
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	5,131.08	4,854.40	490.82	574.96	662.05	632.05
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर	16,339.53	25,215.63	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल हैं।*
***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।*
****इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं।*

50 कंपनी पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

कोविड–19 के प्रकोप के बाद से, उत्परिवर्ती कोरोनावायरस वेरिएंट की खोज के बाद हमारे देश ने महामारी की दो और लहरों का सामना किया है। इन लहरों के कारण अस्थायी रूप से स्थानीय/क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू किया गया, जिसे बाद में हटा लिया गया। टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ, भारत में मांग में सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनी की मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल, चलनिधि पहुंच और आकस्मिक बफर की उपलब्धता के साथ इस संदेह के लिए कोई कारण नहीं है कि मौजूदा संकट का, इसके सुचार कार्यकरण के आकलन सहित इसके प्रचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यह प्रभाव अन्य बातों के अलावा, कोरोनावायरस के आगे के वेरिएंट की खोज के बारे में अनिश्चित भावी विकासों और इसके प्रसार को रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई, चाहे सरकार द्वारा अधिदेशित या अन्यथा, पर निर्भर रहेगा।

51 एक्सपोजर संबंधी प्रकटीकरण

आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 17 सितंबर 2010 के माध्यम से आरईसी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया था, जो आरबीआई के परिपत्र सीसी नंबर 168 दिनांक 12 फरवरी 2010 में निहित निर्देशों के अनुसार था। एक आईएफसी के रूप में, निजी क्षेत्र में उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य एक्सपोजर क्षेत्र, एकल उधारकर्ता के मामले में स्वामित्वाधीन निधि का 25% और उधारकर्ताओं के एकल समूह के मामले में 40% है तथा उधार और निवेश के लिए कुल मिलाकर एक्सपोजर, स्वामित्वाधीन निधियों का क्रमशः 30% और 50% तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाओं के संबंध में, आरबीआई ने दिनांक 16 जून 2016 के अपने पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ.सं. 2184/03.10.001/2015–16 के माध्यम से आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक आरबीआई के क्रेडिट/निवेश मानदंडों के संकेंद्रण की प्रयोज्यता से छूट दी है। कंपनी ने उपरोक्त छूट के पुनः पांच वर्ष की अवधि के लिए विस्तार हेतु आरबीआई के समक्ष अभ्यावेदन किया है। कंपनी के व्यवसाय मॉडल और एक सरकारी कंपनी होने के नाते कार्यनीतिक स्थिति को देखते हुए, यह मामला आरबीआई के विचाराधीन है और प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटीज के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट एक्सपोजर सीमाएं स्वामित्वाधीन निधियों के अधिकतम 150% तक परिवर्तित होती रहती हैं, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और संस्था के मूल्यांकन के अनुसार उधारकर्ताओं की रेटिंग पर आधारित होती है।

निजी क्षेत्र की संस्थाओं के संबंध में, एकल उधारकर्ताओं और समूह उधारकर्ताओं के लिए कंपनी का क्रेडिट एक्सपोजर 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को आरबीआई की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक नहीं था।

51.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च, 2022 (31 मार्च, 2021 को शून्य) को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई ऋण एक्सपोजर नहीं है ।

51.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युचुअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	317.88	671.93
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युचुअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकर्स को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की तरफ से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिट के प्राथमिक निर्गम के संबंध में एनबीएफसी द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x)	वैकल्पिक निवेश निधि में समस्त एक्सपोजर	-	-
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	**317.88**	**671.93**

51.3 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तीय पोषण नहीं है।

51.4 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम	2,39,602.97	2,28,371.07
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	62.17%	60.51%
(ii)	**एक्सपोजर का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर	3,29,335.41	3,42,453.58
	उधारकर्ताओं पर कंपनी के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	61.93%	62.28%
(iii)	**क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण**		
	उपरोक्त चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर	8,645.97	8,489.02

52. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और श्रेणी के अनुसार उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों की वहन लागत इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां			
	व्युत्पन्न वित्तीय लिखित पर मापन			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	8	5,079.87	1,758.79
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	8	430.30	552.43
	निवेश* पर मापन			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	10	268.26	430.13
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10	182.07	209.65
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	नकदी एवं नकदी समतुल्य	6	126.40	1,140.49
	बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	7	2,295.30	1,929.06
	ऋण परिसंपत्तियां	9	3,71,930.54	3,65,261.49
	निवेश*	10	1,707.54	1,051.79
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	24,396.94	24,399.21
	जोड़		**4,06,417.22**	**3,96,733.04**
	उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों पर मापन			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	8	205.64	482.51
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	8	347.50	363.80
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं			
	ऋण प्रतिभूतियां	18	2,19,633.57	2,37,328.06
	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	19	1,06,651.59	85,507.36
	अधीनस्थ देयताएं	20	6,816.47	6,946.89
	अन्य वित्तीय देयताएं	21	25,575.84	25,934.10
	जोड़		**3,59,230.61**	**3,56,562.72**

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 27 के अनुसार 'अलग वित्तीय विवरणों' के अनुसार लागत पर मापा जाता है और इसलिए, इसे यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

52.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण–1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण–3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से प्राप्त) चरण 1 इनपुट के अलावा अवलोकन योग्य बाजार इनपुट; तथा

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार				31.03.2021 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश	53.52	-	214.74	268.26	430.13	-	-	430.13
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	49.52	-	-	49.52	23.60	-	-	23.60
डिबेंचर्स	-	-	132.55	132.55	-	-	143.06	143.06
प्रेफरेंस शेयर	-	-	-	-	-	-	42.99	42.99
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	5,510.17	-	5,510.17	-	2,311.22	-	2,311.22
एफवीटीपीएल पर देयताएं								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	553.14	-	553.14	-	846.31	-	846.31

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) **उद्धृत इक्विटी निवेशों में निवेश - चरण 1 -** सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।

(ख) **व्युत्पन्न वित्तीय लिखत- चरण 2 -** बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के लिए उचित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें वायदा विनिमय दरें, संविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से ब्याज दरें और अन्तर्निहित उतार–चढ़ाव शामिल हैं।

(ग) **यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) की गैर-उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3 -** यूसीएक्स के गैर–उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी के विशिष्ट कारणों से कंपनी द्वारा इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे कार्यशील संस्था के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।

(घ) **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की गैर-उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3 -** ईईएसएल के गैर–उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ईईएसएल 01 सितंबर, 2021 से एक संयुक्त उद्यम (जेवी) नहीं है। उचित मूल्य की गणना निवेशिती कंपनी के वित्तीय विवरण के आधार पर की गई है।

(ङ) **अनुद्धृत अधिमान्य शेयरों में निवेश - चरण 3 -** रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर–उद्धृत वैकल्पिक परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित एकबारगी समाधान व्यवस्था के अनुसरण में उधारकर्ता कंपनी का ओसीसीआरपीएस आबंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य लिया गया है क्योंकि ऐसी लिखतों में भावी नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भावी नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी परिवर्तन को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(च) **एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3 -** एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गैर–उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर द्वारा निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

(छ) **आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3 -** आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के गैर–उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य के रूप में लिया गया है इस तरह के डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

52.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का समाधान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का समाधान को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई (iii)		कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	अनुद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	**-**	**42.99**	**143.06**	**-**	**-**	**186.05**
ऋण निपटान में प्राप्य (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	(41.95)		-	(41.95)
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	218.10	218.10
चरण 3 से अंतरण	-	-	-		-	-
ब्याज आय (i)	-	6.02	21.13		-	27.15
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(49.01)	10.31	-	(3.36)	(42.06)
अंतिम शेष	**-**	**-**	**132.55**	**-**	**214.74**	**347.29**
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	**-**	**(32.42)**	**12.49**	**-**	**(19.36)**	**(39.29)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई (iii)		कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	**1,500.62**	**45.41**	**-**	**-**	**-**	**1,546.03**
ऋण निपटान में प्राप्य (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	-	149.56	-	-	149.56
निपटान	(1667.94)	-	(28.22)	-	-	(1696.16)
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	-	-
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	6.15	-	6.15
ब्याज आय (i)	167.32	6.26	21.72	-	-	195.30
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(8.68)	-	(6.15)	-	(14.83)
अंतिम शेष	**-**	**42.99**	**143.06**	**-**	**-**	**186.05**
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	**-**	**10.57**	**12.42**	**(6.15)**	**(16.00)**	**0.84**

वर्ष के दौरान व्युत्पन्न अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के मापन पर इक्विटी शेयर में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 10.5 देखें।

(i) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन आइटम 'ब्याज आय' का हिस्सा है।

(ii) एफवीटीपीएल में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन आइटम 'उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)' का हिस्सा है।

(iii) एफवीओसीआई में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में लाइन आइटम 'एफवीओसीआई इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन' का हिस्सा है।

52.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकदी एवं नकदी समतुल्य	126.40	126.40	1,140.49	1,140.49
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,295.30	2,295.30	1,929.06	1,929.06
ऋण	3,71,930.54	3,72,175.00	3,65,261.49	3,66,843.62
निवेश	1,707.54	1,726.25	1,051.79	1,057.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,396.94	24,396.79	24,399.21	24,401.09
कुल	**4,00,456.72**	**4,00,719.74**	**3,93,782.04**	**3,95,371.53**
वित्तीय देयताएं				
ऋण प्रतिभूतियां	2,19,633.57	2,21,226.21	2,37,328.06	2,35,612.09
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,06,651.59	1,07,306.18	85,507.36	85,562.85
अधीनस्थ देयताएं	6,816.47	7,131.25	6,946.89	7,610.21
अन्य वित्तीय देयताएं	25,575.84	25,575.84	25,934.10	25,934.10
कुल	**3,58,677.47**	**3,61,239.47**	**3,55,716.41**	**3,54,719.25**

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय लिखतों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपरोक्त वित्तीय लिखतों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और धारणाएं नीचे दी गई हैं जिन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर दर्ज और मापा नहीं गया है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए की गई थी। नीचे दी गई कार्यप्रणाली और धारणाएं केवल उपरोक्त तालिकाओं के उपकरणों से संबंधित हैं:

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल हैं, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, कारोबार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, शेष कारोबार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त ऐतिहासिक अनुभव तथा अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और सहायक देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ('डीसीएफ') पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च 2022 को निजी गैर–निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कंपनी ने जी–सेक और एसडीएल में निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण का बाजार मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध है और अंतिम कूपन तिथि से अर्जित ब्याज की रिपोर्टिंग तिथि को बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।

पीएसयू बॉण्ड में निवेश

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कंपनी ने पीएसयू बॉण्ड में निवेश किया है। कंपनी ने उद्योग प्रक्रिया के अनुसार बाजार के परिणामों का उपयोग करके शेष परिपक्वता के पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता या क्रेडिट रेटिंग वाइज स्प्रेड अर्थात जी–सेक बॉण्ड की यील्ड के लिए उचित मूल्य की गणना की है।

ऋण निपटान/संकल्प के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश

उचित मूल्य को वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में बदलाव को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और अधीनस्थ देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में बदलाव के साथ परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

53 ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिनके लिए कंपनी की देयता बकाया है, जो कि 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 45 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी का प्रकटन किया जाना आवश्यक है। इसका निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर चिह्नित किए गए ऐसे पक्षकारों की स्थिति के आधार पर किया गया है।

54 संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

54.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री एस. के. जी रहाटे	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 22 फरवरी, 2022 से प्रभावी
श्री संजय मल्होत्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 10 फरवरी, 2022 तक
श्री अजय चौधरी	निदेशक (वित्त)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी) 31 अक्टूबर, 2021 तक
श्री प्रवीण कुमार सिंह	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक निदेशक) 31 जनवरी, 2022 तक
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक निदेशक) 4 फरवरी, 2022 से प्रभावी
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 6 सितंबर, 2021 तक
श्री विशाल कपूर	सरकार द्वारा नामित निदेशक 7 सितंबर, 2021 से प्रभावी
डॉ. गंभीर सिंह	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 15 नवंबर, 2021 से प्रभावी
डॉ. मनोज एम. पांडे	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 15 नवंबर, 2021 से प्रभावी
डॉ. दुर्गेश नंदिनी	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 30 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

(2) मुख्य धारक कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) अनुषंगी कंपनी

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)

(4) आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) की सहयोगी कंपनियां

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड

ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.10.2021 को निगमित)

सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (2 जून, 2020 को निगमित और 4 जून, 2021 को मैसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित)

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड (20 अगस्त, 2020 को निगमित और 1 नवंबर, 2021 को मैसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (28 मई, 2020 को निगमित और 28 दिसंबर, 2021 को मैसर्स इंडिग्रिड आई लिमिटेड (मुख्य सदस्य) को हस्तांतरित कर दिया गया)

गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (2 जून, 2020 को निगमित और मैसर्स रिन्यू को हस्तांतरित कर दिया गया

फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (2 जून, 2020 को निगमित और 4 जून, 2021 को मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया)

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (एमसीए पत्र दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से आरओसी से पृथक)

(5) **संयुक्त उपक्रम**

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) (31 अगस्त, 2021 तक)

(6) **नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास**

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास

आरईसी उपदान निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(7) **सीएसआर पहल करने के लिए पंजीकृत सोसाइटी**

आरईसी फाउंडेशन

(8) **वे कंपनियां जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं**

समर्पण हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड (15 नवंबर, 2021 से संबंधित पक्षकार)

एनएचपीसी लिमिटेड (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

एसजेवीएन लिमिटेड (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

पुनात्सांगछु–I, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

पुनात्सांगछु–II, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

भूटान में मंगदेछु जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (6 सितंबर, 2021 तक संबंधित पक्षकार)

(9) **मुख्य धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते है:**

(क) **धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**

श्री रविंद्र सिंह ढिल्लों	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक), 31 जनवरी, 2022 तक
श्री राजीव रंजन झा	निदेशक (परियोजनाएं), 28 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक, 6 सितंबर, 2021 तक
श्री विशाल कपूर	सरकार द्वारा नामित निदेशक, 7 सितंबर, 2021 से प्रभावी
श्री राम चंद्र मिश्रा	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
सलाहकार भास्कर भट्टाचार्य	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 23 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
श्रीमती उषा संजीव नायर	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 23 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
श्री प्रसन्ना तांत्री	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, 23 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(ख) **मुख्य धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियां**

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ग) **मुख्य धारक कंपनी की मुख्य अनुषंगी कंपनियां**

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड

देवघर इंफ्रा लिमिटेड

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

चेयूर इंफ्रा लिमिटेड

अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड

खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड

मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2021 को निगमित)

किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (15.04.2021 को निगमित)

छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (25.01.2022 को निगमित)

नंगलबीबरा–बोंगईगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड (09.04.2021 को निगमित और 16.12.2021 को स्थानांतरित)

खावड़ा–भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.05.2021 को निगमित और 18.01.2022 को स्थानांतरित)

कोप्पल– नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.12.2021 को स्थानांतरित)

सीकर–II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2021 को स्थानांतरित)

करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.01.2022 को स्थानांतरित)

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)

शोंगटोंग करचम–वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी के रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी के नाम को हटाने की प्रक्रिया के तहत)

तटीय आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)

बिजावर–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नाम हटाने के लिए अनुमोदन के तहत)

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत)

(घ) **मुख्य धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास**

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास

पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007

पीएफसी लिमिटेड अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

(ङ) **अन्य कंपनियां जिनमें मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं**

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

लेखा संबंधी टिप्पणियां

54.2 संबद्ध पक्षकारों से/को बकाया राशि :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	3,000.49
आरईसीपीडीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियां	57.44	57.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5.98	4.16
अन्य वित्तीय देयताएं	6.10	5.57
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	8.70
ऋण प्रतिभूतियां–धारक कंपनी		19.90
अन्य वित्तीय देयताएं–भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
प्रावधान	1.05	9.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	1.90	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.16	0.15
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.18	0.28
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.17	0.12
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	1.20	1.54
वे कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं		
ऋण प्रतिभूतियां	-	10.00

54.3 वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनियों के संबंध में बकाया ऋण/अग्रिम/निवेश की अधिकतम राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण एवं अग्रिम		निवेश	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
आरईसीटीपीसीएल	-	1.63	-	0.05
आरईसीपीडीसीएल	5.66	4.16	0.10	0.10

54.4 संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
प्रदत्त लाभांश	1,269.22	1,143.44
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.08	0.10
मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	3,000.00
वित्तीय लागत	14.47	0.49
आरईसीपीडीसीएल		
संवितरित सरकारी फंड	0.11	-
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	19.97	8.96
लाभांश आय	22.43	8.43

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
रेंटल आय	4.88	-
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	4.56	0.85
अन्य व्यय	12.45	7.98
आरईसीटीपीसीएल		
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	-	4.42
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	-	3.71
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	18.28	1.42
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	3.28	3.29
मुख्य धारक कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी के बॉण्डों का विमोचन	2.20	
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	0.38	0.38
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कार्मिक ऋण और अग्रिम का पुर्नभुगतान/वसूली	0.10	0.17
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	0.04	0.05
वित्तीय लागत	0.02	0.01
कर्मचारी लाभ व्यय – प्रबंधकीय पारिश्रमिक	3.05	3.21
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.13	-
मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
वित्तीय लागत	0.01	-
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के खर्चों का भुगतान	112.00	90.00
वे कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं		
वित्तीय लागत	0.35	0.33
लाभांश आय	4.13	27.52

पिछले वर्ष के दौरान, आरईसीटीपीसीएल के साथ संबंधित पक्षकार लेनदेन को प्रभावी तिथि अर्थात 5 फरवरी 2021 तक प्रस्तुत किया गया है (टिप्पणी 10.2 देखें)

54.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन बड़ी निकटता से अर्थात आर्म की लंबाई के आधार पर किए जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण उत्पन्न होती है और धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय होता है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में अनुषंगी कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती हैं, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों पर कोई क्षतिपूर्ति दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

54.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	अल्पावधि कार्मिक लाभांश	2.91	3.01
(ii)	रोजगार के पश्चात लाभांश	0.14	0.20
	जोड़	**3.05**	**3.21**

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग–अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

54 .7 एक ही सरकार (सरकार से संबंधित संस्थाओं) के नियंत्रण में संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण

सरकार से संबंधित संस्थाओं की सूची

वर्ष के दौरान कंपनी का सरकार से संबंधित निम्न एंटीटियों से लेन–देन हुआ था:
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
दामोदर घाटी निगम
नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

सरकार से संबंधित एंटिटियों से सकल लेन-देन निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	2,059.64	2,837.27
ब्याज आय को मान्यता	1,829.69	2,178.00

सरकार से संबंधित एंटिटियों से सकल लेन–देन निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	17,854.95	22,649.28
ब्याज उपचित	4.52	7.73

केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेन–देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 11,19.1(i), 21 और 32 देखें।

55 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय ₹6.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.92 करोड़) हैं। राइट–ऑफ–यूज एसेट्स सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹6.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.95 करोड़) है।

वर्ष के दौरान नीचे दी गई पट्टा देयताओं की धारित राशि (उधारी के तहत शामिल) और संचलन के लिए नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	**0.05**	**0.07**
वर्ष के दौरान उपचित वित्तीय लागत	-	0.01
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.02)	(0.03)
अंतिम शेष	**0.03**	**0.05**

नीचे दी गई तालिका अनडिस्कॉउंटेड पट्टा देयताओं की सविंदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
1 वर्ष तक	0.02	0.02
1–5 वर्ष	0.02	0.04
5 वर्ष से अधिक	-	-

56. भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

56.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि के तहत पृथक पंजीकृत न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह न्यास वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि, अधिनियम में निधि के सदस्यों को दिया जाने वाला न्यूनतम ब्याज निर्धारित नहीं है, रिटर्न का निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी भी कमी का मुआवजा कंपनी द्वारा दिया जाना है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा और इसलिए, कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तो सदस्य के खाते में जमा राशि को सदस्य के संचय और वार्षिकी के लिए विनियोजित किया जाता है, जैसा कि सदस्य द्वारा चुना गया है।

कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹11.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.54 करोड़) के व्यय को मान्यता दी है।

56.2 परिभाषित लाभ योजनाएं - नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	30.43	32.44
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30.09	30.25
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं	0.34	2.19

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**32.44**	**36.82**	**30.25**	**35.47**	**2.19**	**1.35**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
चालू सेवा लागत	1.79	1.93	-	-	1.79	1.93
ब्याज लागत/आय	2.17	2.28	2.11	2.38	0.06	0.10
लाभ अथवा हानि में मान्य राशि	**3.96**	**4.21**	**2.11**	**2.38**	**1.85**	**1.83**
ओसीआई में शामिल						
पुन:मापन हानि (लाभ)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.65)	(0.49)	-	-	(0.65)	(0.49)
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.29)	0.58	-	-	(0.29)	0.58
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-	(0.18)	(0.33)	0.18	0.33
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**(0.94)**	**0.09**	**(0.18)**	**(0.33)**	**(0.76)**	**0.42**
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	2.94	1.42	(2.94)	(1.42)
भुगतान किए गए हितलाभ	(5.03)	(8.68)	(5.03)	(8.69)	-	0.01
अंतिम शेष	**30.43**	**32.44**	**30.09**	**30.25**	**0.34**	**2.19**

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तीय पोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	165.51	151.69
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	164.80	144.06
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	0.71	7.63

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**151.69**	**136.42**	**144.06**	**140.64**	**7.63**	**(4.22)**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
चालू सेवा लागत	3.29	2.90	-	-	3.29	2.90
पूर्व सेवा लागत	2.50	-	-	-	2.50	-
ब्याज लागत/आय	10.31	8.94	10.07	9.45	0.24	(0.51)
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	**16.10**	**11.84**	**10.07**	**9.45**	**6.03**	**2.39**
ओसीआई में शामिल						
पुन:मापन हानि (प्राप्ति)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिपर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(4.08)	(5.20)	-	-	(4.08)	(5.20)
– सांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	3.75	-			3.75	-
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	10.58	19.94	-	-	10.59	19.94
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी	-	-	2.90	1.64	(2.90)	(1.64)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**10.25**	**14.74**	**2.90**	**1.64**	**7.36**	**13.10**
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	0.15	-	0.06	0.08	0.09	(0.08)
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	7.71	-	(7.72)	-
भुगतान किए गए हितलाभ	(12.68)	(11.31)	-	(7.75)	(12.68)	(3.56)
अंतिम शेष	**165.51**	**151.69**	**164.80**	**144.06**	**0.71**	**7.63**

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तीय पोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
–ईआरएस	4.15	4.13

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/ देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	**4.13**	**4.25**
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.20	0.20
ब्याज लागत/आय	0.26	0.25
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	**0.46**	**0.45**
ओसीआई में शामिल		
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.06)	0.02
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.89	0.73
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**0.83**	**0.75**
भुगतान किए गए हितलाभ	(1.27)	(1.32)
अंतिम शेष	**4.15**	**4.13**

56.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित हितलाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित हितलाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

56.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवृधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.38	0.01	0.11	1.90
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
राज्य सरकार की ऋण प्रतिभूतियां			22.58	
कारपोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	-	-	142.11	142.16
अन्य – बीमाकर्ता प्रबंधित फंड और टी–बिल	29.71	30.24	-	-
उप-जोड़-अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	**29.71**	**30.24**	**164.69**	**142.16**
जोड़	**30.09**	**30.25**	**164.80**	**144.06**

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न ₹14.9 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.14 करोड़) है।

56.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च 2022 के अनुसार किया गया था। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
विधि का उपयोग	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्तीय पोषित है	7.37%	6.99%	7.37%	6.99%	7.37%	6.99%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों के काम के प्रत्याशित औसत शेष जीवन (वर्ष)	17.35	16.03	17.35	16.03	17.35	16.03

मुख्य अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

56.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शाई गई राशि तक परिभाषित हितलाभ दायित्व प्रभावित होता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
– उपदान	(0.80)	0.85	(0.90)	0.97
– पीआरएमएस	(12.16)	12.66	(11.14)	11.66
– ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.15)	0.17
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
– उपदान	0.19	(0.21)	0.14	(0.13)
– पीआरएमएस	-	-	-	-
– ईआरएस	0.15	(0.14)	0.15	(0.14)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
– पीआरएमएस	11.68	(10.57)	10.83	(10.44)
चिकित्सा लागत (10% संचलन)				
– पीआरएमएस	16.98	(16.28)	15.56	(14.92)

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलग होने में होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह–संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी हितलाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविविधिकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र चरण पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

56.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
एक वर्ष से कम	4.71	7.87	14.02	12.20	1.11	1.19
1 से 5 साल तक	17.61	20.81	83.46	72.60	3.60	3.00
5 साल से ऊपर	32.92	31.10	327.63	285.02	4.74	3.19
जोड़	**55.24**	**59.78**	**425.11**	**369.82**	**9.45**	**7.38**

56.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रत्याशित अंशदान	1.76	3.98	4.35	10.91	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.20 वर्ष है (31.03.2021 को – 12.54 वर्ष)।

56.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

56.3.1 अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी भी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹8.98 करोड़ की व्यय राशि (पिछले वर्ष ₹4.21 करोड़) दी गई है और लाभों के लिए ₹8.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.21 करोड़) का कुल खर्च किया गया है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किया गया है।

56.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

दीर्घ सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.76 करोड़) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट कर दिया गया है।

56.4 इसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में प्रतिनियुक्ति / सेकेंडमेंट के आधार पर कार्यरत कंपनी के कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मचारी लाभों (अर्थात उपदान, पीआरएमएफ, सीमांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभ) का आवंटन कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर किया जा रहा है।

57. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं / का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव–निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली / नव–निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली / नव–निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव–निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित / नव–निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज / मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग–अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

58 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में संशोधन

सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार संयोजन पर नीति, शेयरों के मुद्दे पर व्यय और उचित मूल्य हेजेज को जोड़ा गया है। इसके अलावा, कुछ लेखा नीतियों में भी अधिक स्पष्टता लाने और कंपनी के अभ्यास के साथ संरेखित करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

59 प्रावधान, आकस्मिकताएं और इंपेयरमेंट हानि भत्ते को लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में डेबिट किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋण के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता*	3,434.36	2,363.33
(ii)	निवेश के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	28.72	-
(iii)	अन्य प्राप्य के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	10.23	56.29
(iv)	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,378.98	2,394.35

**सुविधा पत्र पर हानि भत्ते के लिए ₹ 11.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.71 करोड़) शामिल हैं।*

60 कंपनी के प्रचालनों में केवल एक क्षेत्र आता है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित कारोबार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना। भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक क्षेत्र के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

60 .1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	ऋण परिसंपत्तियों से आय	38,522.97	34,364.47
(ख)	सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	15.23	33.67
(ग)	ट्रेजरी संचालन से आय	227.86	400.73
	जोड़	**38,766.06**	**34,798.87**

60.2 इस कंपनी में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि कंपनी के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

60.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2020–21 के दौरान कंपनी के राजस्व में 10% अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

61 परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		30.03.2021 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
	परिसंपत्तियां				
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	126.40	-	1,140.49	-
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा बैंक शेष	2,295.30	-	1,928.81	0.25
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	343.37	5,166.80	258.94	2,052.28
(घ)	ऋण	39,144.60	3,32,785.94	36,576.91	3,28,684.58
(ङ)	निवेश	61.28	2,096.69	37.28	1,872.50
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	255.77	24,141.17	259.59	24,139.62
	कुल - वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**42,226.71**	**3,64,190.61**	**40,202.01**	**3,56,749.23**

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 के अनुसार		30.03.2021 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	179.64	-	160.07
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	3,134.74	-	2,437.71
(ग)	निवेश संपत्ति	-	-	-	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	623.67	-	260.12
(ङ)	चल रहे पूंजीगत कार्य	-	6.07	-	335.67
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-	0.77
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	4.25	-	6.10
(ज)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	37.87	8.19	72.66	8.84
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**37.87**	**3,956.56**	**72.66**	**3,209.29**
(3)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीत परिसंपत्तियां**	**0.86**	**-**	**-**	**-**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	**42,265.44**	**3,68,147.17**	**40,274.67**	**3,59,958.52**
	देयताएं				
(1)	**वित्तीय देयताएं**				
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखितें	18.89	534.25	73.13	773.18
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	29,639.43	1,89,994.14	45,057.34	1,92,270.72
(ग)	उधार (ऋण प्रतिभतियों के अलावा)	22,529.92	84,121.67	27,509.52	57,997.84
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	296.95	6,519.52	299.49	6,647.40
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	1,466.54	24,109.30	1,824.80	24,109.30
	कुल - वित्तीय देयताएं (1)	**53,951.73**	**3,05,278.88**	**74,764.28**	**2,81,798.44**
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएं**				
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	10.25	-	10.62	-
(ख)	प्रावधान	57.00	47.51	71.65	41.32
(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	52.40	29.24	88.41	32.10
	कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**119.65**	**76.75**	**170.68**	**73.42**
	कुल देयताएं (1+2)	**54,071.38**	**3,05,355.63**	**74,934.96**	**2,81,871.86**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहित किया गया है।

62 इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन–पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

63 कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/अनुषंगी कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।

64. मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन टिप्पणी संख्या 3, 8, 9, 10, 20.1, 27.1, 44,47,48.1.3(एन), 48.1.3 (ओ), 48.1.3 (आर), 48.1.3(एस), 48.1.3 (टी), 48.1.3(यू), 48.2.2, 48.2.4, 48.3, 49, 51, 54, 58, 59, 62, 63, 65, 66 में किए गए हैं।

65 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी विनियामक द्वारा कंपनी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है।

तथापि, कंपनी को बोर्ड/समितियों के पदों/गणपूर्ति (कोरम) की अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं के संबंध में 30 जून 2021, 30 सितंबर 2021 और 31 दिसंबर

लेखा संबंधी टिप्पणियां

2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए गैर–अनुपालन के लिए ₹ 75,59,080 (जीएसटी सहित) का कुल अर्थदंड अधिरोपित करते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से नोटिस प्राप्त हुए हैं।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है, इसी तरह के कारणों के लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों से लिए अपने अनुरोध के अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर रही है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जुर्माना पर पहले की छूट के अनुरूप है।

66. 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

67. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखा संबंधी 1 से 67 तक टिप्पणियां स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्तीय)
डीआईएन-06629871

आर. एस. ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00278074

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

एस.के. मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 008506

कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

राकेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. : 087537

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 13 अगस्त, 2022

आरईसी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय – कोर –4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003, सीआईएनः L40101DL1969GOI005095

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी– क्रमागत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर–जमा करने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2016 के पैराग्राफ 19, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर इसे लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
		बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	देयता पक्षः				
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम**				
	जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
	(क) डिबेंचर/बॉण्ड्स :				
	– प्रतिभूत	40,644.51	-	35,581.38	-
	– अप्रतिभूत	1,86,655.90	-	2,09,521.27	-
	(ख) आवधिक ऋण				
	– वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
	– एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12		10,325.12	
	– बैंको से अप्रतिभूत ऋण	42,919.86		29,953.76	
	– वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	6,800.00		5,800.00	
	(ग) वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	-	-
	(घ) अन्य ऋण				
	– विदेशी मुद्रा उधारियां	35,687.77	-	21,060.17	-
	– एफसीएनआर (बी) ऋण	9,861.13	-	5,335.01	-
	– अल्पावधि ऋण/मांग पर ऋण प्रतिदेय	1,415.58		10,201.99	
	– धारक कंपनी से मांग पर प्रतिदेय ऋण	-		3,000.49	
	– लीज ऑब्लिगेशन	0.03		0.05	

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	परिसंपत्ति पक्षः				
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा**				
	(क) प्रतिभूत		2,13,512.93		2,47,657.93
	(ख) अप्रतिभूत		1,57,153.67		1,16,554.11
(3)	**निवेश :**				
	चालू निवेश :				
	उद्धृतः				
	(i) शेयरः इक्विटी		49.52		23.60
	अनुद्धृतः				
	(i) शेयरः प्रेफेरेंस		-		69.08
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		238.76		292.16
	दीर्घावधि निवेश				
	उद्घृत :				
	(i) शेयरः इक्विटी		53.52		430.13
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		226.82		227.52
	(iii) सरकारी प्रतिभूतियां		1,374.51		649.08
	अनुद्धृतः				
	(i) शेयरः इक्विटी		214.84		218.20

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि	
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
31.03.2022 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,13,512.93	1,57,153.67
जोड़	**2,13,512.93**	**1,57,153.67**
31.03.2021 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,47,657.93	1,16,554.11
जोड़	**2,47,657.93**	**1,16,554.11**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10	0.10	0.10
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-	218.10	218.10
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-	-
2. संबंधित पक्षकार के अलावा	2,157.87	2,157.87	1,691.57	1,691.57
जोड़	**2,157.97**	**2,157.97**	**1,909.77**	**1,909.77**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i) सकल क्रेडिट - इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित पक्षकार के अलावा	17,159.89	18,256.93
(ii) निवल क्रेडिट - इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित पक्षकार के अलावा	5,594.16	6,465.62
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियां	-	349.28

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्तीय)
डीआईएन-06629871

आर. एस. ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00278074

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

एस.के. मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 008506

कृते ओ. पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

राकेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. : 087537

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 13 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
आरईसी लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) क विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात ''स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों'' के रूप में संदर्भित) सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देते हैं और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में स्टैंडअलोन परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके स्टैंडअलोन नकद प्रवाह तथा इसके सार की स्टैंडअलोन स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 48.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में, हमने हानि भत्ता के अनुसार निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहाँ तक इसका प्रबंधन ओवरले के रूप में हानि भत्ता का पता लगाने का सवाल है यह कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी और प्रबंधन के निर्णय द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है।

2. हम कंपनी पर महामारी कोविड–19 के प्रभाव के संबंध में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 50 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मत है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी से एक चालू संस्था के रूप में कंपनी की क्षमता पर कोइ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भविष्य में महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभाव अनिश्चित है और यह भावी वर्षों में क्षति भत्ते को प्रभावित कर सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले (''केएएम'') वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता -** (लेखांकन नीति सं. 3.11 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 48.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है:** क) भारतीय लेखांकन मानक 109 ''वित्तीय लिखत'' के उपबंधों के अनुसार, हमने बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है। ख) वसूली/निष्पादन पहलुओं की निगरानी के संबंध में कुल ऋण के बड़े हिस्से को शामिल करते हुए नमूना जांच के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन और उस पर प्रबंधन की धारणा पर विचार करते हुए ऋण हानि का आकलन। ग) मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए वसूलियों का सत्यापन किया जाता है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के साथ उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है।